शासकीय महाविद्यालय बड़ौदा

जिला-श्योपुर (म.प्र.)

ISBN NO.- 978-93-341-1822-3

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कौशल विकास"

संपादक

प्रो. दत्तपाल सिंह भँवर । डॉ. कल्याण सिंह कुशवाह

आयोजक

शासकीय महाविद्यालय, बड़ौदा, जिला-श्योपुर (म.प्र.)

प्रायोजक–

उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल

डॉ. कुमार रत्नम

अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा
ग्वालियर-चम्बल संभाग, ग्वालियर (म.प्र)

डॉ. बिपिन बिहारी शर्मा

प्राचार्य PMCOE
शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्योपुर (म.प्र.)

प्रो. राजाराम मुवेल

शासकीय महाविद्यालय, बड़ौदा
जिला-श्योपुर (म.प्र.)

डॉ. पार्वती कुमावत

(सहायक प्राध्यापक)
वाणिज्य विभाग
माधव विश्वविधालय, पिंडवारा सिरोही, राजस्थान

डॉ. गरिमा श्रीवास्तव

(सहायक प्राध्यापक)
जैव प्रोद्योगिकी विभाग
वनस्थली विद्यापीठ, निवाई, राजस्थान

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal - Equivalent to UGC Approved Journal ISSN No. 2456-6713

IEARJ
International Educational Applied Research Journal

9 789334 118223

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कौशल विकास"

दिनांक- 24 अगस्त 2024

शासकीय महाविद्यालय बड़ौदा, जिला श्योपुर (म.प्र.)

संयोजक

प्रो. रामदयाल मकवाना

सहसंयोजक

प्रो. दत्तपाल सिंह भँवर

डॉ. कल्याण सिंह कुशवाह

संपादक

प्रो. दत्तपाल सिंह भँवर | डॉ. कल्याण सिंह कुशवाह

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal - Equivalent to UGC Approved Journal ISSN No. 2456-6713

IEARJ
International Educational Applied Research Journal

मुख्य संरक्षक

डॉ. कुमार रत्नम

अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा ग्वालियर चम्बल संभाग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश

संरक्षक

डॉ. विपिन बिहारी शर्मा

शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, श्योपुर, मध्य प्रदेश

प्राचार्य

प्रो. राजाराम मुवेल

शासकीय महाविद्यालय बडौदा, जिला श्योपुर, मध्य प्रदेश

मुख्य वक्ता

डॉ. पार्वती कुमावत

(सहायक प्राध्यापक) वाणिज्य विभाग

माधव विश्वविधालय, पिंडवारा सिरोही, राजस्थान

मुख्य वक्ता

डॉ. गरिमा श्रीवास्तव

(सहायक प्राध्यापक) जैव प्रोद्योगिकी विभाग

वनस्थली विद्यापीठ, निवाई, राजस्थान

संयोजक

प्रो. रामदयाल मकवाना

प्रायोजक

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल

आयोजक

शासकीय महविद्यालय बड़ौदा, जिला-श्योपुर (म.प्र.)

शुभकामना संदेश

डॉ. के. रत्नम्
अतिरिक्त संचालक
म.प्र. उच्च शिक्षा विभाग
ग्वालियर-चम्बल संभाग, ग्वालियर (म.प्र.)

मुझे यह जानकर बहुत ख़ुशी हो रही है शासकीय महाविद्यालय, बड़ौदा, जिला-श्योपुर (म.प्र.) द्वारा विषय "राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कौशल विकास" पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। यह सराहना करने योग्य है कि राज्य और देश के कई युवा शोधार्थी और विषय विशेषज्ञ सम्मेलन में भाग लेंगे। मुझे आशा है, कि राष्ट्रीय संगोष्ठी के परिणाम निश्चित रूप से सभी प्रतिभागियों को "राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कौशल विकास" के बारे में आवश्यक दिशा -निर्देश और व्यवहारिक अनुसंशा प्रदान करेंगे।

मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ, और संगोष्ठी की शानदार सफलता के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ।

शुभकामना संदेश

डॉ. बिपिन बिहारी शर्मा
PMCOE
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
श्योपुर

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है, कि शासकीय महाविद्यालय, बड़ौदा द्वारा विषय "राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कौशल विकास" पर एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबीनार का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए ई-प्रोसीडिंग भी प्रकाशित की जा रही है। जिसमें शोध पत्र एवं आलेखों को सम्मिलित किया जाएगा। इस राष्ट्रीय वेबीनार में देश व प्रदेश के कई विद्वान, विषय विशेषज्ञ भाग लेंगे एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऑनलाईन शिक्षा की प्रभावशीलता, आवश्यकता एवं वर्तमान समय में इस विषय की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला जाएगा।

मुझे पुर्ण विश्वास है, कि इस वेबीनार से युवा विद्यार्थी लाभंवित होंगे एवं अपने कार्यक्षेत्र में सफल होंगे। में राष्ट्रीय वेबीनार और ई-प्रोसीडिंग के प्रकाशन के लिए शासकीय महाविद्यालय, बड़ौदा, जिला-श्योपुर (म.प्र.) को अपनी अग्रिम शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

शुभकामना संदेश

प्रो. राजाराम मुवेल
प्राचार्य
शासकीय महविद्यालय बड़ौदा
जिला श्योपुर (म.प्र.)

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि नवीन **शासकीय महाविद्यालय, बड़ौदा, जिला-श्योपुर (म.प्र.)** द्वारा विषय “राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कौशल विकास” पर एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबीनार का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शोध एवं आलेखों को सम्मिलित किया जाएगा। इस राष्ट्रीय वेबीनार में देश व प्रदेश के कई विद्वान, विषय विशेषज्ञ भाग लेंगे एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल विकास की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला जाएगा। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ हम इस वेबीनार की ई-प्रोसीडिंग भी कर रहे है। मुझे पूर्ण विश्वास है, कि इस वेबीनार से प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर विद्यार्थी शिक्षा एवं कौशल विकास में बेहद मजबूत होकर अपना सर्वांगीण विकास कर देश व प्रदेश के विकास में अपनी महती भूमिका अदा करेंगे। मैं राष्ट्रीय वेबीनार और ई-प्रोसीडिंग के प्रकाशन के लिए आयोजकों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

शोधपत्र सब-विषय

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल विकास का महत्तव
- कौशल विकास एवं रोजगार सृजन
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं चरित्र निर्माण
- कौशल विकास के माध्यम से महिला सशक्तिकरण
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं व्यक्तित्व विकास
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परम्परा का समावेश
- भारतीय अर्थव्यवस्था एवं कौशल विकास
- तकनीकी कौशल और डिजिटल साक्षरता
- उद्यमिता में कौशल विकास का योगदान
- विषय से सम्बंधित अन्य उप विषय

INDEX

Name of Author	Tittle of Paper	Page No.
दतपाल सिंह भँवर डॉ. प्रांकुश शर्मा	लघुवनोपज संग्रहण में महिलाओं की भूमिका	01-03
डॉ. किरन डंगवाल डॉ. मनीष कुमार सैनी	कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	04-07
रामदयाल मकवाना राजाराम मुवेल	भारतीय अर्थव्यवस्था और कौशल विकास	08-10
प्रो. अजीत सिंह प्रो. विकास जाट	वाग्भट : आयुर्वेद के महान ऋषि और उनके साहित्य का महत्व	11-13
डॉ. नुसरत सुल्ताना श्री कृष्ण जी राव पवार	शक्ति स्वरूपा नारी के विविध आयाम	14-16
प्रकाश कुमार अहिरवार	राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कौशल विकास पर महाभारत का प्रभाव : एक विश्लेषणात्मक	17-19
BY DR.JAHANGIR AHMAD LONE	National Policy on Education 2020: NEW ERA IN EDUCATION	20-21
BY MOHD BILALWANI DR. KALYAN SINGH KUSHWAH	Advancing research-oriented progress of students through NEP 2020	22-24
Deepak Kumar Verma	CLIMATE CHANGE AND ENERGY TRANSITION	25-26
डॉ. शिवानी भगत डॉ. मनीष कुमार सैनी	उच्च शिक्षा में महिलाओं की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	27-30
कल्पना अहिरवार प्रकाश कुमार अहिरवार	मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास योजनाओं का प्रभाव : वर्तमान स्थिति, चुनौतियाँ और सुधार की संभावनाएँ	31-34

लघुवनोपज संग्रहण में महिलाओं की भूमिका

दतपाल सिंह भँवर
सहायक प्राध्यापक
शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय श्योपुर

डॉ. प्रांकुश शर्मा
सहायक प्राध्यापक
शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय श्योपुर

सारांश -

इस लेख में लघुवनोपज (Non-Timber Forest Products या NTFP) के संग्रहण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का अध्ययन किया गया है। लघुवनोपज जैसे औषधीय पौधे, फल, गोंद, शहद आदि ग्रामीण और आदिवासी समुदायों की आजीविका का मुख्य स्रोत होते हैं। महिलाएं लघुवनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण, और विपणन में प्रमुख भूमिका निभाती हैं, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण प्राप्त होता है।

यह लेख महिलाओं का पारंपरिक ज्ञान और अनुभव लघुवनोपज के सतत संग्रहण और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने में यह कार्य सहायक है। हालांकि, असंगठित बाजार, बिचौलियों का प्रभाव, और पर्यावरणीय चुनौतियाँ इस क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करती हैं।

सरकार और संगठनों द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों (SHG) और प्रसंस्करण केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को सहयोग प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे अपने उत्पादों को उचित मूल्य पर बेच सकें और आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। इस शोध का निष्कर्ष यह है कि लघुवनोपज संग्रहण में महिलाओं की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसके प्रोत्साहन के लिए उन्हें अधिक संसाधन, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता है।

1.0 परिचय -

लघुवनोपज (Non-Timber Forest Products या NTFP) वन क्षेत्रों से प्राप्त वे उत्पाद होते हैं जो लकड़ी के अलावा वन संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं। इनमें औषधीय पौधे, जड़ी-बूटियां, फल, गोंद, शहद, बांस, रेशे, और अन्य प्राकृतिक उत्पाद शामिल हैं। भारत के वन क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए लघुवनोपज आजीविका का प्रमुख साधन है, और इनमें महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाएं लघुवनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण, और विपणन में प्रमुख रूप से जुड़ी होती हैं

2.0 लघुवनोपज संग्रहण में महिलाओं की भूमिका -

लघुवनोपज संग्रहण में महिलाओं की अद्वितीय भूमिका होती हैं। ग्रामीण महिलाएं नित्य क्रियाकलापों में अपने दिन की शुरुआत लघुवनोपज संग्रहण से ही करती है -

2.1 संग्रहण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका भारत -

भारत के विभिन्न वन क्षेत्रों में महिलाएं लघुवनोपज का संग्रहण करती हैं। यह कार्य पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा पीढ़ियों से किया जा रहा है। विभिन्न मौसमों में विभिन्न प्रकार की लघुवनोपज संग्रहण की जाती हैं, और महिलाओं का इन उत्पादों की पहचान, समयानुसार संग्रहण, और उन्हें सही ढंग से संग्रहित करने में अद्वितीय ज्ञान होता है।

2.2 उत्पादों का प्रसंस्करण -

लघुवनोपज के प्रसंस्करण में भी महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संग्रहित उत्पादों को उपयोग करने योग्य बनाने के लिए महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रसंस्करण विधियाँ अपनाई जाती हैं, जैसे तेंदू पत्तों का बीड़ी बनाने के लिए प्रसंस्करण, महुआ फूलों का शराब या तेल निकालने के लिए उपयोग, और शहद का संग्रहण।

2.3 स्थानीय बाजार में विपणन -

महिलाएं लघुवनोपज उत्पादों को बाजार में बेचने का कार्य भी करती हैं। कई बार स्थानीय हाट-बाजारों में महिलाएं इन उत्पादों को सीधे ग्राहकों को बेचती हैं। इससे वे परिवार की आय में भी योगदान करती हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं।

2.4 पारंपरिक ज्ञान और पर्यावरण संरक्षण -

महिलाएं लघुवनोपज संग्रहण में अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता आया है। यह पारंपरिक ज्ञान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि महिलाएं वन संपदाओं के टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करती हैं। वे केवल उतना ही संग्रह करती हैं, जितना कि वन की क्षमता को नुकसान न पहुंचे और वन पुनः उत्पादित हो सकें।

3. लघुवनोपज और महिलाओं की आजीविका-

महिलाएं लघुवनोपज संग्रहण में अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता आया है। यह पारंपरिक ज्ञान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि महिलाएं वन संपदाओं के टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करती हैं। वे केवल उतना ही संग्रह करती हैं, जितना कि वन की क्षमता को नुकसान न पहुंचे और वन पुनः उत्पादित हो सकें। आदिवासी एवं ग्रामीण समुदायों में आजीविका का मुख्य स्त्रोत लघुवनोपज संग्रहण ही है -

3.1 आर्थिक स्वतंत्रता-

लघुवनोपज संग्रहण महिलाओं के लिए आय का प्रमुख स्रोत है, खासकर आदिवासी और ग्रामीण समुदायों में। यह उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाता है और परिवार की आय में योगदान करने का अवसर प्रदान करता है।

3.2 कृषि पर निर्भरता कम करना-

लघुवनोपज संग्रहण महिलाओं को कृषि पर पूरी तरह निर्भर होने से बचाता है। सूखे या फसल की विफलता जैसी स्थितियों में लघुवनोपज एक वैकल्पिक और स्थिर आय का साधन बन सकता है

3.3 महिला सशक्तिकरण-

लघुवनोपज से आय प्राप्त कर महिलाएं अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं और अपने आर्थिक निर्णयों में स्वतंत्रता पा सकती हैं। यह सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से अपनी स्थिति सुधारने का अवसर मिलता है।

4.0 चुनौतियाँ -

हालांकि लघुवनोपज संग्रहण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता हैः

4.1 असंगठित बाजार-

लघुवनोपज संग्रहण एक असंगठित क्षेत्र है, जिसमें उचित बाजार व्यवस्था का अभाव है। इससे महिलाओं को उनके उत्पादों का सही मूल्य नहीं मिल पाता।

4.2 बिचौलियों का प्रभाव -

बाजार में बिचौलियों की भूमिका अधिक होती है, जो महिलाओं से कम दामों पर लघुवनोपज खरीदते हैं और बाजार में ऊँचे दामों पर बेचते हैं। इससे महिलाओं की आय प्रभावित होती है

4.3 पर्यावरणीय बदलाव-

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय बदलाव के कारण लघुवनोपज के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे महिलाओं के संग्रहण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

4.4 सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ -

महिलाएं जंगलों में लघुवनोपज संग्रहण के दौरान कई बार सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करती हैं, जैसे जंगली जानवरों का खतरा, कीट-पतंगों के काटने का खतरा, और कठिन भौगोलिक स्थितियाँ।

5. सरकार और संगठनों की भूमिका -

5.1 सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम - भारत सरकार ने लघुवनोपज के संग्रहण और विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन योजनाओं के तहत महिलाओं को लघुवनोपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए संगठित किया जा रहा है।

5.2 महिला स्व-सहायता समूह (SHG)- महिला स्व-सहायता समूह (SHG) लघुवनोपज संग्रहण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं संगठित होकर अपने उत्पादों को उचित बाजार मूल्य पर बेच सकती हैं।

5.3 संवर्धन और प्रसंस्करण केंद्र सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्थापित प्रसंस्करण केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को लघुवनोपज के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन की तकनीक सिखाई जाती है, जिससे उन्हें बाजार में बेहतर मूल्य मिल सके।

6.0 निष्कर्ष -

लघुवनोपज संग्रहण में महिलाओं की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह न केवल उनकी आजीविका का साधन है, बल्कि उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का भी एक प्रमुख मार्ग है। हालांकि, इसके लिए बाजार व्यवस्था में सुधार, महिलाओं को उचित प्रशिक्षण और समर्थन की आवश्यकता है ताकि वे अपने पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकें। यदि सरकार और समाज महिलाओं को इस क्षेत्र में बेहतर अवसर और सहयोग प्रदान करें, तो वे न केवल अपने जीवन में सुधार कर सकती हैं, बल्कि वन संसाधनों के सतत उपयोग में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

सन्दर्भ सूचि -

1. भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) ₹लघुवनोपज और इसका आर्थिक महत्व,₹ भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून, भारत।

2. FAO (Food and Agriculture Organization) - Non-Wood Forest Products (NWFP) in India,₹ FAO, Rome, 20201

3. विश्व बैंक रिपोर्ट ₹Women and Forest Livelihoods: A Global Perspective,₹ World Bank, Washington, D.C., 20191

4. भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) ₹भारत में वन क्षेत्र और लघुवनोपज की भूमिका,₹ Forest Survey of India, 20211

5. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) ₹महिला स्व-सहायता समूह और लघुवनोपजः एक अध्ययन,₹ ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2020।

6. यूएनडीपी (United Nations Development Programme) - ₹लघुवनोपज और महिला सशक्तिकरणः केस स्टडी,₹ UNDP India, 2021।

7. Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India (TRIFED) - ₹The Role of Women in NTFP Collection and Marketing,₹ TRIFED, Ministry of Tribal Affairs, Government of India, 20211

8. ग्राम्य और आदिवासी विकास अध्ययन ₹आदिवासी समुदायों में लघुवनोपज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव,₹ Indian Joumal of Rural Development, 20191

9. NGO रिपोर्ट - ₹Forest-based Livelihoods and Gender Equality in India,₹ Oxfam India, 20201

10. नाबार्ड (NABARD) ₹महिला सशक्तिकरण और लघुवनोपज का योगदान,₹ NABARD अध्ययन, 2020।

कौशल विकास और महिला सशक्तिकरणः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. किरन डंगवाल
असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफंसर
एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग
बिरला कैम्पस हे. न. ब. ग. (केन्द्रिय विश्वविद्यालय)
विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखण्ड

डॉ. मनीष कुमार सैनी
प्रधानमंत्रीकॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस
समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
श्योपुर, मध्यप्रदेश।

सारांश -

इस अध्ययन के अन्तर्गत कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण के विषय पर चर्चा की गई है। इस शोध पत्र में पाया गया है कि यह सत्य है कि महिलाओं की भागीदारी एक परिवार और समाज के विकास में योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रही है। महिलाओं के संदर्भ में कौशल विकास का तात्पर्य है कि केवल महिलाओं को रोजगार प्रदान करना ही नहीं बल्कि अनके द्वारा किये गये कार्यो में गुणात्मक सुधार कर कार्य प्रदर्शन को बेहतर और उत्पादक बनाना हैं। कौशल विकास उनके रोजगार को सुनिश्चित तो करेगा ही, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी सशक्त करने में सहायक सिद्ध होगा।

महिला सशक्तिकरण वर्तमान समय में महत्वपूर्ण विषय हैं। यह महिलाओं को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग होने के लिए प्रेरित करता हैं। कौशल विकास महिलाओं में आत्म-विश्वास तथा आत्म-निर्भरता लाने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है। कौशल विकास महिला सशक्तीकरण की दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन लाने का सकारात्मक प्रयास है। भारत जैसे विकासशील देश जहां कार्य शक्ति में भागीदारी की निम्न दर तथा लैंगिक असमानता जैसी समस्याएं वर्तमान में भी विद्यमान है। यह एक चिंता का विषय है। महिला कौशल विकास अवश्य इस समस्या का समाधान करेगा।

मुख्य शब्द : कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, समाज, भारत,

भारत में कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक हैं। इन दोनों मुद्दों का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति को तेज़ी से बढ़ावा देना है। कौशल विकास (Skill Development) का अर्थ है किसी व्यक्ति के ज्ञान, क्षमताओं और दक्षताओं को विकसित करना ताकि वह किसी विशेष कार्य, पेशे या गतिविधि को कुशलता से कर सके। यह प्रक्रिया व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। कौशल विकास का उद्देश्य व्यक्ति को सक्षम बनाना होता है ताकि वह रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सके और जीवन में आत्मनिर्भर बन सके।

कौशल विकास का लक्ष्य देश के युवाओं और श्रमिकों को ऐसी आवश्यक और व्यावहारिक कुशलताएं प्रदान करना है जो उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएं। भारत की जनसंख्या युवाओं की बड़ी संख्या पर आधारित है, और इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करके देश की उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए, भारत सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं-

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) की शुरुआत भारत में 15 जुलाई, 2015 को की गई थी। यह योजना भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) द्वारा चलाई जाती है। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को विभिन्न उद्योगों के लिए रोजगारपरक कौशल प्रदान करना है, ताकि वे अधिक रोजगार योग्य बन सकें और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा सकें। PMKVY के तहत युवाओं को तकनीकी और गैर-तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है, और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर उन्हें प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाता है, जो उन्हें रोजगार पाने में मदद करता है।

भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) का उद्देश्य देश के युवाओं को विभिन्न उद्योगों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे उन्हें रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकें। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं और स्कूल/कॉलेज छोड़ने वाले छात्रों को आधुनिक और उद्योग से संबंधित कौशल सिखाया जाता है। कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जब महिलाओं को सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है, तो वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ती है। दोनों को मिलाकर एक सशक्त समाज और मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण संभव है।

इस सृष्टि का निर्माण स्त्री के द्वारा हुआ है। ईश्वर ने भी स्त्री को एक अद्भुत शक्ति प्रदान की है जो कि पुरुषों को नहीं दी गई है। स्त्री के अंदर एक जन्मदायिनी शक्ति के साथ- साथ सहनशीलता, लगन, मनोबल सुंदर, अनुभव, पुरुषों के मुकाबले अधिक होता है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से स्त्री और पुरुषों के बीच शक्ति संतुलन का खेल जारी है। इसमें कभी पुरुष अपनी शारीरिक शक्ति के बलबूते पर आगे रहे तो कभी स्त्री अपनी मान, मर्यादा, सहनशीलता या जन्मदाता के रूप में पुरुषों से आगे रही है। लेकिन आज के समय में अपनी निरंतरता, लगन और चेतना द्वारा स्त्रियां समाज में पुरुषों से आगे निकलती जा रही हैं।

मिशेल ओबामा -

महिलाओं के रूप में हम जो कुछ भी हासिल कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है।

मलाल यौसफ्जई-

यौसफ्जई-हम सभी सफल नहीं हो सकते जब तक कि हममें से आधे लोग पीछे न रह जाएं। हम दुनिया भर की अपनी बहनों से आह्वान करते हैं कि वे बहादुर बनें तथा अपने भीतर की ताकत को अपनाएं और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करें।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को उनके जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है। इसका लक्ष्य महिलाओं को निर्णय लेने की शक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, और आर्थिक स्वतंत्रता दिलाना है। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों ने कई पहल की हैं-

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरूआत भारत के प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी, 2015 को पानीपत, हरियाणामें की थी। इस योजना से पूरे जीवन-काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है। यह योजना तीन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और समाज में उनकी स्थिति को सुधारना है।
- महिला शक्ति केंद्र : यह पहल महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करती है।
- स्वयं सहायता समूह (SHG): ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ये समूह कार्य करते हैं।

महिला सशक्तीकरण के लिए दिए गए अधिकार -

समान वेतन का अधिकार : समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005: इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को सभी प्रकार की घरेलू
हिंसा (शारीरिक एवं मानसिक, मौखिक या भावनात्मक हिंसा) से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जो दुर्व्यवहार की शिकार हो चुकी है या दुर्व्यवहार करने वाले के साथ रह रही हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 : यह अधिनियम सार्वजनिक और निजी, संगठित या असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में सभी कार्य स्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत आपको वर्किंग प्लेस पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक है। केंद्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत वर्किंग प्लेस पर यौन शोषण के शिकायत दर्ज होने पर महिलाओं को जांच लंबित रहने तक 90 दिन का पैड लीव दी जाएगी।

कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार : भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह एक महिला को उसके मूल अधिकार ₹जीने के अधिकार₹ का अनुभव करने दें। गर्भाधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीक लिंग चयन पर रोक अधिनियम (PCPNDT) कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है।

संपत्ति पर अधिकार : हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर हक है। गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार : किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए।'

महिला सशक्तिकरण की जरूरत क्यों पड़ी: परंपराओं, रीति-रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं की आड़ में उन पर दुराचार भी किया गया है। हर धर्म में महिलाओं को सम्मान देना सिखाया जाता है, लेकिन अनेक कुरीतियों और प्रथाएं ऐसी है, जिनके चलते औरतों को प्रताड़ित किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए सती प्रथा, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, यौन हिंसा यौन उत्पीड़न, घर या काम के स्थान पर फोन हिंसा, छेड़खानी, वेश्यावृत्ति, बलात्कार, मानव तस्करी और घरेलू हिंसा आदि हैं। पुरुषों द्वारा महिलाओं पर किए गए वचन और भेदभाव के कारण महिला सशक्तिकरण आवश्यकता पैदा हुई है। सैकड़ों औरतें दुनियाभर में पुरुषों द्वारा किया गया भेदभाव पूर्ण व्यवहार की लक्ष्य बनी है। भारत अलग ही नहीं है, भारत एक जटिल देश है। जहां पर देवी की पूजा की जाती है। अपनी बेटियों, माताओं और बहनों को महत्व दिया जाता है। 8 महिला सशक्तिकरण के दिशा में दुनिया में कई देश, कई महत्वपूर्ण उपाय काफी समय पूर्व से कर चुके हैं। भारतवर्ष में भी इस दिशा में कुछ रचनात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय संविधान में पुरुषों की तरह सभी क्षेत्रों में महिलाओं को बराबर अधिकार देने के लिए कई प्रावधान किए गए। महिलाओं का पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने और अपने देश के बारे में सोचने की क्षमता का विकास होना ही महिला सशक्तीकरण कहलाता है। समाज में महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए क्योंकि आज के समय में महिला हर क्षेत्र में आगे है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर खेल के क्षेत्र हो या सरकारी तंत्र हो या प्राइवेट क्षेत्र में हर जगह महिलाएं कार्य कर रही है। भारत में

इतने सब कानूनों के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति विकसित देशों की तुलना में बहुत ही दयनीय है। इसका मुख्य कारण महिला शिक्षा, आर्थिक परतंत्रता और महिला अधिकारों के बारे में जानकारी का अभाव है।

भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के लिए विधिक कानून : भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के लिए कानन है। जो इस प्रकार है-

- दहेज हत्या से जुड़े कानूनी प्रावधान दहेज हत्या को लेकर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में स्पष्ट प्रावधान है। इसके अंतर्गत धारा 304 बी, 310, 306 एवं 498ए आती है।
- दहेज हत्या का अर्थ औरत की जलने या किसी शारीरिक चोट के कारण हुई मौत या शादी के 7 वर्ष के अंदर किन्ही संदेश जनक कारण से हुई मृत्यु। इसके संबंध में धारा 304 (बी) में सजा दी जाती है जो कि 7 वर्ष कैद है। इस जुर्म के अभियुक्त को जमानत नहीं मिलती।
- आईपीसी की धारा 302 में दहेज हत्या के मामले में सजा का प्रावधान है। इसके तहत किसी औरत की दहेज हत्या के अभियुक्त का अदालत में अपराध सिद्ध होने पर उसे उम्रकैद या फांसी हो सकती है।
- अगर ससुराल वाले किसी महिला को दहेज के लिए मानसिक या भावनात्मक रूप से हिंसा का शिकार बनाते हैं, जिसके चलते वह औरत आत्महत्या कर लेती है, तो धारा 306 लागू होगी। जिसके तहत दोष साबित होने पर जुर्माना और 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है।
- धारा 354 यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उस पर हमला या जबरदस्ती करता है, तो उसे 2 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
- 376 ए में बलात्कार करना।
- 376 बी में सामूहिक लैंगिक करना।
- - धारा 494 पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना।
- धारा 495 में पहले विवाह को छिपाकर दूसरा विवाह करना।
- धारा 498 ए में पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता।

महिलाओं की दशा सुधारने हेतु भारत सरकार द्वारा सन 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना तथा 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई और देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष भी घोषित किया गया। इसी प्रकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी सरकार द्वारा समय-समय पर किया गया है। जिनमें प्रमुख है किशोरी शक्ति योजना, स्वयं सिद्धा योजना, सरस्वती सायं काल योजना, महिला समाख्या योजना, बालिका बचाओ योजना, इंदिरा महिला योजना, बालिका समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिशन शक्ति इत्यादि इस प्रकार की महिलाओं से संबंधित भारत सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है। वर्तमान समय में महिला अपनी बेहतरी की ओर बढ़ रही है परंतु हमेशा से स्त्री की स्थिति इतनी निम्न्जतर नहीं थी। वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल को देखें तो स्त्री ने सम्माननीय जीवन पहले भी जिया है। एक सशक्त जीवन की गवाह वह पहले भी रह चुकी है। उत्तरवैदिक काल से स्त्री की स्थिति में एकाएक बदलाव नहीं हुए। स्त्री पर अनगिनत अंकुश लगाए जाने लगे। मध्यकाल तक आते. आते स्त्री की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। हालांकि भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन के समय में महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ लेकिन लगातार हो रहे आक्रमणों के बीच महिलाओं को पुनः घरों में कैद किया गया। किसी भी आक्रमण में सर्वाधिक शोषित महिलायें ही रहीं। बाद में एक हरम में कई रानियों को रखने का रिवाज सामान्य हो गया। भोग की वस्तु के रूप में तब्दील हो चुकी स्त्री दशा को सुधार करने की कोशिश फिर आधुनिक काल में ही शुरू हुई। एक लंबे प्रयास व आंदोलनों से गुजरते हुए महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए खुद लड़कर अपने लिए अनेक नए अवसरों का रास्ता खोला। अभी सामाजिक.आर्थिक. राजनीति और सांस्कृतिक रूप से कई जगहों पर इनके साथ समानता का व्यवहार किया जाना बाकी हैए जो इस सभ्य समाज में उनका हक़ है। महिलाओं के लिए संभावनाओं का बड़ा द्वार अभी भी उनके इंतजार में है जो लगातार उनके सशक्त होते रहने से ही खुल सकेगा।

निष्कर्ष -

हम इस अध्ययन में निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि कौशल विकास महिलाओं को नए तकनीकी, व्यावसायिक और सामाजिक कौशल प्रदान करके उनकी क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया है। यह उन्हें आत्मनिर्भर बनने, रोजगार के नए अवसर हासिल करने और अपनी आय में वृद्धि करने में मदद करता है। महिला सशक्तिकरण का मतलब महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि वे स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना शामिल है। जिस तरह वर्तमान में महिलाओं की स्थिति बदल रही है उसमें कुछ सकारात्मक पहलू तो उजागर होते हैं और इस तरह के कृत्य के लिए परिवार और समाज की जिम्मेदारी होती है क्योंकि महिलाओं को प्रदत्त अधिकार एवं उनके लिए बनाए गए नियमों के बाद भी महिलाओं की स्थिति सोचनीय एवं दयनीय है। भारतीय संविधान के अंतर्गत स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए समान अधिकार बनाए गए हैं, किंतु निरक्षरता एवं घरेलू तथा भारतीय धार्मिक परंपराओं की वजह से महिलाएं उन समस्त अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाई। इसके अलावा लिंग-भेदभाव, घरेलू हिंसा एवं महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध उनकी प्रगति में हमेशा बाधक रहे हैं। इसके बावजूद भी भारतीय नारी ने हर क्षेत्र में सफलता हासिल की है। जो पुरूषों से कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही है।

अंत में कहने का तात्पर्य है कि कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण आपस में गहरे जुड़े हैं, क्योंकि जब महिलाएं कौशल हासिल करती हैं, तो वे समाज में समान भागीदारी करने और अपने परिवार व समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होती हैं। कौशल विकास महिला सशक्तिकरण का

महत्वपूर्ण साधन है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र बनाता है। वर्तमान समय में भारतीय नारी हर क्षेत्र में कार्यरत है। वस्तुतः कहने का तात्पर्य है कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों में भी भारतीय नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। हम यह तो नहीं कह सकते कि महिलाओं की हालात पूरी तरह बदल गए हैं लेकिन पहले की तुलना में इस क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है। वर्तमान समय में इस आधुनिक युग में महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति पहले से अधिक सचेत हैं। महिलाएं जब अपनी पेशेवर जिंदगी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक को लेकर बहुत अधिक जागरूक हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण न केवल व्यक्तिगत विकास बल्कि समग्र राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

सन्दर्भ -

1. महिला सशक्तीकरण, विकिपीडिया।
2. तूलिका, चन्द्रा (2018), कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण, शोध मंथन, पृष्ठ सं०: 45-47 ।
3. परमार, शुभ्रा (2015), 'नारीवादी सिद्धांत और व्यवहार', ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना), पृष्ठ सं०: 217।
3. परमार, शुभ्रा (2015), 'नारीवादी सिद्धांत और व्यवहार', ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना), पृष्ठ सं०: 217 ।
4. तूलिका, चन्द्रा (2018), कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण, शोध मंथन, पृष्ठ सं०: 48-50।
5. महिला सशक्तीकरण, विकिपीडिया।
6. सिंह, निशांत (2008), 'महिला विधि, राधा पब्लिकेशन्स, नयी दिल्ली, पृष्ठ सं०ः 26-281
7. सिंह, वी० एन० (2010), 'आधुनिकता एवं नारी नारी सशक्तीकरण, रावत पब्लिकेशन्स, अंसारी रोड, नई दिल्ली, पृष्ठ सं०: 192-193।
8. सिंह, भुनेश्वर एवं पाण्डेय, सुबोध (2018), 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005', एक्ता लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद,, पृष्ठ सं०: 3-7।
9. शर्मा, रमा एवं मिश्रा, एम. के. (2014), 'महिला विश्वकोश' अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, पृष्ठ सं०: 108 ।
10. सिंह, भुनेश्वर एवं पाण्डेय, सुबोध (2018), 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005', एक्ता लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, सं०: 112-115।
11. दृष्टि आईएएसः महिला सशक्तिकरण का प्रयास

भारतीय अर्थव्यवस्था और कौशल विकास

रामदयाल मकवाना
सहायक प्राध्यापक
शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय श्योपुर

राजाराम मुवेल
सहायक प्राध्यापक
शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय श्योपुर

सारांश -

भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जहाँ बड़ी युवा जनसंख्या है, जो देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस युवा शक्ति को कुशल बनाने के लिए कौशल विकास आवश्यक है। कौशल विकास से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं, उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलता है, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग, और सेवा क्षेत्र पर आधारित है, लेकिन बेरोजगारी, असमानता, और वैश्विक चुनौतियाँ अभी भी प्रमुख समस्याएँ हैं। कोविड-19 महामारी के बाद से रोजगार में गिरावट आई, जिससे कौशल विकास की आवश्यकता और भी बढ़ गई। कुशल कार्यबल देश की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। भारत सरकार ने 2015 में कौशल भारत मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 2022 तक 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करना था। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY) और अपरेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना जैसी पहलों से युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि, कौशल विकास में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे शैक्षिक असमानता, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच की कमी। समाधान के रूप में शिक्षा और प्रशिक्षण का समन्वय, नवीनतम तकनीकों का समावेश, सार्वजनिक निजी साझेदारी, और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना आवश्यक है। कुल मिलाकर, कौशल विकास भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण कारक है, और इसे बेहतर बनाने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र को साथ मिलकर काम करना होगा।

प्रस्तावना :-

भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जहाँ जनसंख्या का बड़ा हिस्सा युवा है। इस युवा शक्ति का सही दिशा में उपयोग करने के लिए कौशल विकास (Skill Development) अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौशल विकास के बिना न केवल आर्थिक प्रगति धीमी हो सकती है, बल्कि बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ सकती है। इस शोध पत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं और कौशल विकास के महत्व का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान परिदृश्य :-

भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र इसके प्रमुख आधार हैं। हालांकि, चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य, आर्थिक असमानता और बेरोजगारी जैसी समस्याएँ भी सामने हैं।

2019-2020 में कोविड-19 महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिससे रोजगार के अवसर घटे और कई उद्योगों पर दबाव पड़ा। इसी संदर्भ में, कौशल विकास का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि अब अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है।

कौशल विकास की परिभाषा :-

कौशल विकास का तात्पर्य व्यक्तियों को उनके कार्यक्षेत्र में आवश्यक दक्षता और योग्यताओं से लैस करना है ताकि वे आर्थिक गतिविधियों में अधिक प्रभावी और उत्पादक योगदान दे सकें। इसके तहत तकनीकी, प्रबंधकीय, और अन्य व्यावसायिक कौशलों का विकास शामिल है, जिससे व्यक्ति अपनी उत्पादकता और रोजगार के अवसरों को बढ़ा सके।

कौशल विकास का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावः कौशल विकास से भारतीय अर्थवयवस्था को बल मिलता है, एवं कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है-

रोजगार के अवसरों में वृद्धिः- कौशल विकास से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति बेहतर नौकरियों के लिए तैयार होते हैं, जिससे उनकी आय और जीवन स्तर में सुधार होता है।

उद्योगों में उत्पादकताः- कुशल कामगार उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होते हैं। इससे कंपनियों की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और वे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनती हैं।

नवाचार और उद्यमिताः- कौशल विकास से नवाचार को बढ़ावा मिलता है। जब लोग नए कौशल सीखते हैं, तो वे नए विचार और प्रौद्योगिकियाँ विकसित करने में सक्षम होते हैं, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है।

वैश्विक प्रतिस्पर्धाः- जब भारतीय कार्यबल कुशल और सक्षम होता है, तो वह वैश्विक बाजार में विदेशी कंपनियों और निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। इससे विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।

भारत में कौशल विकास की स्थिति :-

भारत सरकार ने 2015 में 'कौशल भारत मिशन' (Skill India Mission) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 2022 तक 40 करोड़ लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना था। इसके तहत कई योजनाएँ और पहल की गईं, जैसेः

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):- इसके अंतर्गत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे विभिन्न रोजगार क्षेत्रों में अपना योगदान दे सकें।

अपरेंटिसशिप प्रशिक्षण योजनाः- इस योजना के तहत उद्योगों के साथ साझेदारी कर युवाओं को काम के दौरान प्रशिक्षण दिया जाता है।

नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSDC):- यह संस्था निजी और सरकारी साझेदारियों के माध्यम से कौशल विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देती है।

कौशल विकास की चुनौतियाँः- शैक्षिक असमानताः- भारत में उच्च स्तर की शैक्षिक असमानता है, जिससे कुछ लोगों को कौशल प्रशिक्षण के अवसरों तक पहुँच मिलना मुश्किल होता है।

प्रशिक्षण की गुणवत्ताः कई प्रशिक्षण केंद्रों में आवश्यक उपकरणों और विशेषज्ञता की कमी होती है, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

नवीनतम तकनीकों की जानकारीः- तकनीक तेजी से बदल रही है और कई प्रशिक्षण केंद्र नवीनतम तकनीकी जरूरतों के अनुसार अपने पाठ्यक्रम को अद्यतन नहीं कर पा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचः- कौशल विकास योजनाओं का लाभ अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्रों तक पूरी तरह नहीं पहुँच पाया है।

समाधान एवं सुझाव :-

शिक्षा और प्रशिक्षण का समन्वयः शैक्षिक प्रणाली में कौशल विकास को शामिल करना जरूरी है। विद्यालय स्तर से ही छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए।

नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षणः प्रशिक्षण केंद्रों में नवीनतम तकनीकों को शामिल करना चाहिए ताकि प्रशिक्षित व्यक्ति आज की उद्योग आवश्यकताओं के अनुसार कार्य कर सकें।

सार्वजनिक-निजी साझेदारीः सरकार और निजी उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्रः अधिकाधिक प्रशिक्षण केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाने चाहिए ताकि वहाँ के युवाओं को भी कौशल विकास का लाभ मिल सके।

निष्कर्ष :-

कौशल विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक कुशल कार्यबल न केवल रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देता है बल्कि देश की औद्योगिक उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी मजबूत करता है। इसके लिए सरकार, निजी क्षेत्र और समाज सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि एक सशक्त और कुशल भारत का निर्माण हो सके। कौशल विकास मत्रालय का मकसद देशभर में कौशल विकास के प्रयासों को एकजुट करना है कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच की दुरी को कम करना है, इससे वंचित युवाओं और वयस्कों को इन कार्यक्रमों तक पहुंचने में दिक्कत हो सकती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है मोबाइल कंपनियां में फोन की जरिये लोगो को योजना से जुडी जानकारी देती है लोगो को उनके निवास स्थान के आसपास में ट्रेनिंग सेंटर से जोड़ा जाता है।

सन्दर्भ सूचि :-

1. Indian Economy: Issues and Policies, प्रीति शर्मा
2. https://www.adb.org/
3. https://www.ilo.org/

4. https://www.nasscom.in/
5. https://www.oecd.org/
6. https://www.worldbank.org/

वाग्भटः आयुर्वेद के महान ऋषि और उनके साहित्य का महत्व

प्रो. अजीत सिंह
सहायक प्राध्यापक, वनस्पति शास्त्र,
शासकीय आदर्श कन्या महविद्यालय
श्योपुर

प्रो. विकास जाट
सहायक प्राध्यापक, भौतिक शास्त्र,
शासकीय आदर्श कन्या महाविधालय
श्योपुर (मध्य प्रदेश

परिचय :-

भारतीय ज्ञान परम्परा ने भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, वास्तुकला और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। वेदों और उपनिषदों में निहित ज्ञान ने नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक मूल्यों को समाहित किया जिससे समाज में संतुलन और समृद्धि बनी रही । आयुर्वेद ने चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया जबकि वास्तुशास्त्र ने भवन निर्माण और नगर नियोजन में मार्गदर्शन प्रदान किया । कृषि में पारंपरिक ज्ञान ने फसल उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण में मदद की। इस प्रकार, भारतीय ज्ञान परम्परा ने प्राचीन भारतीय जीवन को समृद्ध और संतुलित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारतीय ज्ञान परम्परा में आयुर्वेद और वनस्पति शास्त्र का गहरा संबंध है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वनस्पतियों का विस्तृत वर्णन मिलता है जिसमें आयुर्वेद का विशेष स्थान है। आयुर्वेद में औषधीय पौधों का उपयोग स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए किया जाता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में विभिन्न पौधों की विशेषताओं और उनके औषधीय गुणों का उल्लेख है। इसके अलावा, भारतीय ज्ञान परम्परा में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता का भी महत्व है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में पौधों की पूजा और संरक्षण की परंपराएं मिलती हैं। आधुनिक वनस्पति शास्त्र में इन पारंपरिक ज्ञानों का समावेश करके हम न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध हो सकते हैं। वैदिक युग को भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस युग में ऋषियों ने अपने ध्यान और साधना के माध्यम से न केवल आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान भी किए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों में न केवल धार्मिक विधियों का वर्णन है, बल्कि इनमें वैज्ञानिक तथ्यों का भी उल्लेख मिलता है। उदाहरणस्वरूप, अथर्ववेद में पौधों और वनस्पतियों की चिकित्सा उपयोगिता का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ दर्शाता है कि वैदिक ऋषियों के पास वनस्पति शास्त्र का गहरा ज्ञान था और उन्होंने अपने अनुभवों के माध्यम से औषधीय पौधों की खोज की।

आयुर्वेद, भारतीय चिकित्सा प्रणाली का एक प्राचीन और समृद्ध विज्ञान है, जो हजारों वर्षों से मानवता की सेवा कर रहा है। आयुर्वेद का इतिहास वेदों से भी पुराना माना जाता है, और इसमें संपूर्ण जीवन की रक्षा के सिद्धांत निहित हैं। इस चिकित्सा प्रणाली को संगठितऔर प्रायोगिक रूप में प्रस्तुत करने में अनेक ऋषियों और आयुर्वेदाचार्यों का योगदान है। उनमें से एक प्रमुख नाम वाग्भट का है, जिन्होंने आयुर्वेद के सिद्धांतों को सरल और सुलभ बनाया। वाग्भट द्वारा रचित दो मुख्य ग्रंथ 'अष्टांगहृदय' और 'अष्टांगसंग्रह' आयुर्वेद के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस लेख में हम वाग्भट की जीवनी, उनकी शिक्षा, उनके द्वारा रचित ग्रंथों का विश्लेषण और उनके योगदान का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

जीवन परिचय :-

वाग्भट का जन्म 7वीं सदी के आसपास एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता और गुरु, सिम्हगुप्त, भी एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। वाग्भट ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की और बाद में वेद, उपनिषद, और अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन किया। वाग्भट ने आयुर्वेद में अपनी गहरी रुचि और लगन से इसे जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य बना लिया। उन्होंने अपने ज्ञान को न केवल संचित किया, बल्कि उसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत भी किया, ताकि आयुर्वेद के सिद्धांत सामान्य लोगों के लिए भी सुलभ हो सकें। उनकी रचनाओं में सटीकता, संक्षिप्तता, और गहराई का अनूठा समावेश है। वाग्भट की शिक्षा में वेद, उपनिषद, और शास्त्रों का गहन अध्ययन शामिल था। आयुर्वेद के प्रति उनकी विशेष रुचि ने उन्हें इस विज्ञान का महान विद्वान बना दिया। उन्होंने अपने गुरु सिम्हगुप्त से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया और फिर इसे अपने ग्रंथों के माध्यम से जनसामान्य तक पहुँचाया।

आयुर्वेद में वाग्भट का योगदान :-

वाग्भट का सबसे बड़ा योगदान उनके द्वारा रचित ग्रंथों के माध्यम से देखा जा सकता है। उन्होंने आयुर्वेद को एक संगठित और वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया। आयुर्वेद के आठ अंगों (काया चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्धांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शालाक्य, विष चिकित्सा, और रसायन-वाजीकरण) को व्यवस्थित और सरल भाषा में प्रस्तुत करना वाग्भट का मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने चिकित्सा सिद्धांतों को संक्षिप्त, स्पष्ट और उपयोगी रूप में प्रस्तुत किया, जिससे यह चिकित्सा प्रणाली सभी के लिए सुलभ हो सके। वाग्भट के दो मुख्य ग्रंथ 'अष्टांगहृदय' और 'अष्टांगसंग्रह' आयुर्वेद के अध्ययन में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये दोनों ग्रंथ आयुर्वेद के आठ अंगों का विस्तृत वर्णन करते हैं और चिकित्सकों के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं

अष्टांगहृदय :-

अष्टांगहृदय वाग्भट का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख ग्रंथ है। यह ग्रंथ आयुर्वेद के आठ अंगों पर आधारित है और इसमें कुल 120 अध्याय हैं। यह ग्रंथ

छह भागों में विभाजित है, जिनमें स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई है। अष्टांगहृदय की भाषा सरल और संक्षिप्त है, जिससे यह ग्रंथ न केवल चिकित्सकों के लिए बल्कि सामान्य जन के लिए भी उपयोगी है। अष्टांगहृदय के प्रमुख भाग-

सूत्र स्थानः यह भाग आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों का वर्णन करता है। इसमें आहार, विहार, ऋतुचर्या, दिनचर्या, और स्वास्थ्य संबंधित उपाय शामिल हैं। यह भाग संपूर्ण जीवनशैली और स्वास्थ्य देखभाल पर आधारित है।

निदान स्थानः निदान स्थान में विभिन्न रोगों के निदान के तरीकों का वर्णन किया गया है। इसमें रोगों के लक्षण. उनकी पहचान. और उपचार के तरीकों का विस्तत विवरण दिया गया है।

शरीर स्थानः यह भाग शरीर रचना और क्रिया विज्ञान से संबंधित है। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों, तंत्रों, और उनके कार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है।

चिकित्सा स्थानः चिकित्सा स्थान में विभिन्न रोगों की चिकित्सा का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें रोगों के उपचार के लिए आवश्यक औषधियों और चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार से उल्लेख है।

कालय चिकित्सा स्थानः इसमें जीवन के विभिन्न कालखंडों में स्वास्थ्य की देखभाल के उपाय बताए गए हैं। यह भाग विशेष रूप से उम्र के अनुसार स्वास्थ्य प्रबंधन पर आधारित है।

उत्तर स्थानः उत्तर स्थान में उन रोगों का उपचार बताया गया है, जो पहले के स्थानों में वर्णित नहीं किए गए हैं। इसमें विशेष रूप से गंभीर और असाधारण रोगों के उपचार का उल्लेख है।

अष्टांगहृदय में श्लोकों की संख्याः इस ग्रंथ में लगभग 7120 श्लोक हैं, जो आयुर्वेद के विभिन्न पहलओं को सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तत करते हैं।

खंड	अध्यायों की संख्या	प्रमुख विषय
सूत्र स्थान	30	आयुर्वेद के मूल सिद्धांत
निदान स्थान	10	रोगों का निदान
शारीर स्थान	8	शरीर रचना
चिकित्सा स्थान	22	रोगों की चिकित्सा
कल्प स्थान	6	विष चिकित्सा
उत्तरस्थान	44	विविध चिकित्सा

अष्टांगसंग्रह :-

अष्टांगसंग्रह वाग्भट का एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो आयुर्वेद के आठ अंगों का गहन और विस्तृत वर्णन करता है। यह ग्रंथ कुल 150 अध्यायों में विभाजित है और इसमें आयुर्वेद के सिद्धांतों का व्यापक वर्णन है। अष्टांगसंग्रह का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद के गहरे और जटिल सिद्धांतों को समझाने का है। अष्टांगसंग्रह के प्रमुख भाग-

सूत्र स्थानः इसमें आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों और आयुर्वेद के विज्ञान का व्यापक विवरण है। इसमें जीवनशैली, आहार, और स्वास्थ्य प्रबंधन के सिद्धांतों का विस्तार से उल्लेख है।

निदान स्थानः निदान स्थान में विभिन्न रोगों के लक्षणों और निदान के तरीकों का वर्णन किया गया है। इसमें रोगों की पहचान और उनके उपचार के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की गई है।

शरीर स्थानः यह भाग शरीर रचना और क्रिया विज्ञान से संबंधित है। इसमें शरीर के अंगों और उनके कार्यों का गहन अध्ययन किया गया है।

चिकित्सा स्थानः चिकित्सा स्थान में विभिन्न रोगों के उपचार का विस्तृत विवरण है। इसमें चिकित्सा पद्धतियों, औषधियों, और उपचार के अन्य साधनों का गहराई से वर्णन किया गया है।

कालय चिकित्सा स्थानः इसमें जीवन के विभिन्न कालखंडों में स्वास्थ्य की देखभाल के उपाय बताए गए हैं। इसमें विशेष रूप से वृद्धावस्था में स्वास्थ्य प्रबंधन पर जोर दिया गया है।

उत्तर स्थानः उत्तर स्थान में विशेष और जटिल रोगों का उपचार बताया गया है, जिन्हें अन्य भागों में शामिल नहीं किया गया है। इसमें विष चिकित्सा और गंभीर रोगों का विशेष रूप से उल्लेख है। इस ग्रंथ में अष्टांगहृदय की तुलना में अधिक श्लोक हैं, और इसमें आयुर्वेद के सिद्धांतों का गहन और विस्तृत वर्णन किया गया है।

खंड	अध्यायों की संख्या	प्रमुख विषय
सूत्र स्थान	40	आयुर्वेद के मूल सिद्धांत
निदान स्थान	16	रोगों का निदान
शारीर स्थान	12	शरीर रचना
चिकित्सा स्थान	30	रोगों की चिकित्सा
कल्प स्थान	8	विष चिकित्सा
उत्तरस्थान	50	विविध चिकित्सा

अष्टांगहृदय और अष्टांगसंग्रह में अंतर :-

अष्टांगहृदय और अष्टांगसंग्रह दोनों ही वाग्भट के रचित ग्रंथ हैं और दोनों में आयुर्वेद के आठ अंगों का वर्णन है फिर भी इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। अष्टांगहृदय को संक्षिप्त और सरल भाषा में लिखा गया है, जिससे यह अधिक सुलभ और प्रायोगिक है। इसके विपरीत, अष्टांगसंग्रह अधिक विस्तृत और गहन है, जिससे यह शास्त्रीय अध्ययन के लिए उपयुक्त है। अष्टांगहृदय में श्लोकों की संख्या 7120 है, जबकि अष्टांगसंग्रह में श्लोकों की संख्या अधिक है और इसमें अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है। अष्टांगहृदय में विषयों को संक्षेप में और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है, जबकि अष्टांगसंग्रह में इन्हें विस्तार से समझाया गया है। अष्टांगहृदय चिकित्सकों के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है, जबकि अष्टांगसंग्रह का उपयोग शास्त्रीय अध्ययन और शोध के लिए अधिक होता है।

निष्कर्ष :-

वाग्भट का योगदान आयुर्वेद के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण और स्थायी है। उन्होंने अपने गहन ज्ञान और अनुभव को 'अष्टांगहृदय' और 'अष्टांगसंग्रह' जैसे महान ग्रंथों के माध्यम से प्रस्तुत किया, जो आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रमुख स्तंभ हैं। वाग्भट ने आयुर्वेद के जटिल सिद्धांतों को सरल और सुसंगठित रूप में प्रस्तुत किया, जिससे यह विज्ञान आम लोगों और चिकित्सकों दोनों के लिए सुलभ हो गया। उनकी शिक्षा और उनके गुरु सिम्हगुप्त का मार्गदर्शन उनके जीवन और कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वाग्भट ने न केवल आयुर्वेद के सिद्धांतों को व्यवस्थित किया, बल्कि उन्हें प्रायोगिक और जीवनोपयोगी भी बनाया। उनका कार्य आयुर्वेद में एक मील का पत्थर है, जो आज भी चिकित्सा क्षेत्र में नए विचारों और शोध के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है।

संदर्भ :-

1. वाग्भट. (अनुमानित 7वीं सदी). अष्टांगहृदय (संस्कृत संस्करण). पुनर्प्रकाशितः चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान.

II. वाग्भट. (अनुमानित 7वीं सदी). अष्टांगसंग्रह (संस्कृत संस्करण). पुनर्प्रकाशितः चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान.

III. शर्मा, पी. वी. (1981). आयुर्वेद का इतिहास. वाराणसीः चौखंबा ओरिएंटलिया.

IV. भट्ट, ए. (1999). चरक संहिता (संस्कृत संस्करण). वाराणसीः चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफिस.

V. त्रिपाठी, ब्रह्मानंद. (2011). सुश्रुत संहिता. वाराणसीः चौखंबा सुरभारती प्रकाशन.

शक्ति स्वरूपा नारी के विविध आयाम

डॉ. नुसरत सुल्ताना
सहायक प्राध्यापक
उर्दू प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस,

श्री कृष्ण जी राव पवार
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
देवास, मध्य प्रदेश

परिचय :-

नारीवादी विचारकों के अनुसार ईश्वर के पश्चात हम सर्वाधिक ऋणी नारी के हैं प्रथम तो जीवन के लिए फिर उसको जीने योग्य बनाने केलिए। महिला सशक्तिकरण विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय परिवेश में शक्ति स्वरूपा नारी के विविध आयाम पर रोशनी डालते हुए यह शोध पत्र तैयार किया गया है। इस विषय पर विचार व्यक्त करते हुए कि जब मातृशक्ति को इतना वंदनीय माना गया है और नारी की बौद्धिक क्षमता एवं नारी सुलभ गुणों की अतीत से आज के ज़माने तक सराहना की जाती रही है तो फिर वर्तमान में नारी के सम्मान का अवमूल्यन होना एक ग़ौर व फ़िक्र का विषय है। इस शोध पत्र में महिलाओं को प्राप्त विभिन्न अधिकारों पर रोशनी डाली गयी है। इसमें महिलाओं के अधिकारों के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, न्याय, और संगठित सेक्टर में, उनकी समानता के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है। शोध पत्र में महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक समर्थन के विभिन्न माध्यमों का विश्लेषण किया गया है इसमें सरकारी योजनाओं, गैर सरकारी संगठनों एवं समाज और परिवार का समर्थन महिलाओं को एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंचने में किस तरह मददगार साबित हो सकता है खोजने की कोशिश की गई है।

संकेत शब्द :-

वजूद-ए-ज़न, काएनात, सोज़-ए-दरूँ, ग्लोबलाइजेशन, प्लेटफार्म, तब्दीलियों, वैश्वीकरण, ज़ीस्त

उद्देश्य :-

महिला सशक्तिकरण पर शोध पत्र तैयार करने का उद्देश्य विभिन्न मामलों में महिलाओं के अधिकारों, समानता, और समाज में उनकी भूमिका को बढ़ावा देना होता है। इसका मक़सद है महिलाओं को समाज में उनकी आवाज़ उठाने की क्षमता प्रदान करना और उन्हें स्वतंत्रता, स्वायत्तता, और समानता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना। शोध पत्र में इस विषय पर गहन अध्ययन किया गया है की महिलाओं के अधिकारों के बारे में उन्हें किस तरह जागरूक किया जाए और उनके सामरिक, सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक पक्षों को परखेंगे।

शोध प्रविधि :-

उपयुक्त आलेख मुख्य रूप से द्वितीयक समंको जैसे समाचार पत्र पत्रिकाओं, ई कंटेंट्स, अलग-अलग वर्ग की महिलाओं से पूछे गए प्रश्नों से प्राप्त विश्लेषण एवं स्वयं के विचारों पर आधारित है।

वजूद-ए-ज़न से है तस्वीर-ए-काएनात में रंग
इसी के साज़ से है ज़िंदगी का सोज़-ए-दरूँ

भारतीय समाज में सदियों से लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा होती रही है और यह पूजा इस बात कासबूत है कि धन, ज्ञान और शक्ति का स्रोत नारी ही है। पार्वती, सीता, राधा और मीरा का नाम प्रेम, त्याग और विश्वास का सूचक है अर्थात यहां की नारी को भारतीय संस्कृति में अत्यधिक आदर और सम्मान दिया गया है और नारी के हर रूप को पूज्यनीय बताया गया है। कोई समाज, कोई धर्म हो सभी ने स्त्री को जीवन और समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया है। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति विविधता और समझौते के साथ थी। वे उन्नत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं के अनुसार अपने जीवन जीती थीं। वैदिक काल में महिलाएं गृहिणियों के रूप में अपने परिवार की देखभाल और पालन-पोषण में व्यस्थ रहती थीं। उन्हें शिक्षा की पहुंच सीमित थी और समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं था। वेदों में महिलाओं के प्रति सम्मान का उल्लेख है लेकिन उन्हें समाज में समानता की पूरी अधिकारिकता नहीं मिलती थी। यह तो रही प्राचीन तस्वीरें। संविधान में सैद्धांतिक रूप से महिलाओं को बहुत से अधिकार दिए हैं और आज़ादी के बाद महिलाओं के विकास के लिए कई प्रावधान किए गए हैं लेकिन महज़ प्रावधानों से कोई बदलाव नहीं आ सकता महिलाओं के साथ एक वस्तु सा व्यवहार, शिक्षा का अवसर प्राप्त न होना, कम उम्री में विवाह की परंपरा भी उसके विकास में मुख्य बढ़ाओ में से हैं अब आज के दौर की बात करें तो सशक्त महिलाएँ समय की माँग हैं। महिलाओं का सामर्थ्य एवं प्रतिभा अब स्वयं सिद्ध हो चुकी है और वह प्रत्येक क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंची है जैसे-जैसे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर महिला शोषण तंत्र की नींव मज़बूत होती जा रही है। संविधान में सैद्धांतिक रूप से महिलाओं को बहुत से अधिकार दिए हैं और आज़ादी के बाद महिलाओं के विकास के लिए कई प्रावधान किए गए हैं लेकिन महज़ प्रावधानों से कोई बदलाव नहीं आ सकता महिलाओं के साथ एक वस्तु सा व्यवहार, शिक्षा का अवसर प्राप्त न होना, कम उम्री में विवाह की परंपरा भी उसके विकास में मुख्य बढ़ाओ में से हैं। यह स्पष्ट है कि केवल नारीवादी नारों से कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए यह आवश्यक है कि नारी को शक्ति और अधिकार मिले। उनका वास्तविक विकास और अस्तित्व शिक्षा, विधायिका, न्यायपालिका, प्रशासन और सभी शक्तिशाली क्षेत्रों में उनकी पूर्ण भागीदारी में छुपा है। महिलाओं ने हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन उन्हें वह मान्यता और

स्वीकृति नहीं मिली है जो सदियों से ऐसी भूमिका निभाने वाले पुरुषों को मिली है, जिसमें महिलाओं को पराधीन माना जाता है उन्हें, महिलाओं को अपने अधिकार और सुरक्षा पाने के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है, उनकी इच्छा, उनकी राय, उनके विचार एक गौण चीज़ हैं जो कि एक ऐसी मानसिकता है जिसने सदियों से समाज पर शासन किया है, लेकिन अब, असाधारण परिवर्तन के कारण तत्कालीन संस्कृति और सभ्यता में इस मानसिकता को अस्वीकार कर दिया गया है। महिलाएं आज सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शैक्षणिक साहित्यिक चाहे जो भी क्षेत्र हो हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान क़ायम कर चुकी है राजनीति का क्षेत्र जहां पुरुषों का वर्चस्व है वहां नारी ने अपनी सफलता का परचम लहराया है श्रीमती इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, डॉ विजय लक्ष्मी पंडित श्रीमती प्रतिभा पाटिल, वसुंधरा राजे, ममता बनर्जी, जयललिता, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज जैसी महिलाएं अपनी शक्ति का परिचय दे चुकी हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में हो या साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं ने अपना एक अलग स्थान बनाया है महादेवी वर्मा इला भट्ट, कपिल वात्स्यायन, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, अमृता प्रीतम आदि ने अपनी सशक्त लेखनी के माध्यम से हिंदी साहित्य में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। बाज़ारवाद, फैशन, विज्ञापन, क़ानून तथा मार्क्सवादी विचारधारा इस महिला जो शक्ति दे रही है और यह सशक्तीकरण, स्वतंत्रता, समानता और विज्ञान की सुविधाओं के साथ कैसे समन्वित हो गया है। अगर बदलते समय और आधुनिक समाज में स्त्री के स्थान और स्वरूप पर दृष्टि डालते हैं तो आधुनिक समाज में घर और परिवार का दायरा संकुचित होता जा रहा है। मानवीय मूल्यों और संस्कारों में टकराव की स्थिति निर्मित हो रही है अपनी जड़ों से उखड़ने और आधुनिक माहौल तथा परिस्थितियों में ताल मेल न बैठा पाने की कशमकश, लिव-इन रिलेशनशिप की धारणा और नैतिक पतन एवं उससे पनपता एक आज़ाद ख़्याल समाज। इन सब के बीच स्त्री का नया चेहरा सामने आता है जिसे आजकल आध्वनिक नारी के नाम से भी परिभाषित किया जाने लगा है। जहाँ ग्लोबलाइजेशन ने सम्पूर्ण परिदृश्य को ही परिवर्तित कर दिया है। इसने बाज़ार में, वस्तुओं में एक समानता ला दी है। पूरा विश्व एक प्लेटफार्म पर आ गया है। इन तमाम तब्दीलियों का असर दुनिया के सभी वर्गों पर हुआ इसमें वह स्त्रियाँ भी शामिल थी जिसकी हम बात कर रहे हैं। नए वैश्वीकरण में नारी ने बहुत अहम और बड़ी भूमिका निभायी है।। अब स्त्री आत्मनिर्भर बनी और आत्मविश्वास से भर गयी। वह अपनी ताकत, अधिकार, क्षमता, और बुद्धि का मूल्य समझने लगी। स्त्री के स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता और उसके सम्मान को महत्व मिला। वह क़ानून, अधिकार और समानता के महत्व को समझने लगी, इनके माध्यम से उसने हताशा निराशा से कामयाबी और क़ाबलियत का सफ़र तय किया। इन्हीं क़ानूनों और अधिकारों से अबला मानी जाने वाली स्त्री को सबला बन गई। स्त्री आज पुरूषों की तरह काम कर रही है। सभी चुनौतियों समस्याओ, कठिनाईयों और असमानताओं का मुकाबला कर रही है। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी मायावती, सुषमा स्वराज, जुलिया गिलार्ड, हिना रब्बानी, हिलेरी क्लिंटन, बेनजीर भुट्टो, मारग्रेट ग्रैचर, मदर टेरेसा, डिलामांरोसेफ, आंग सान सू की, यिंग लुक शिनवात्रा आदि महिलाएं लोकशक्ति के रूप में उभर कर सामने आई है। इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता से नए समीकरण बनाए है।

आज स्त्री केवल सृजन का दूसरा नाम नहीं है बल्कि वह शौर्य और शक्ति का पर्याय भी है। किरण बेदी, कंचनराय चौधरी, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, आशागोपालन, प्रिया जहिंग्न, हरिताकौरदेओल, कड़ममल्लेश्वरी, मैरीकाम, सानिया मिर्ज़ा आदि महिलाओं ने देश विदेश में नारी जाति का गौरव बढ़ाया है। ऐसी ही महिलाओं के लिए कैफ़ी आज़मी ने कहा है।

तेरे क़दमों में है फ़िरदौस-ए-तमद्दन की बहार
तेरी नज़रों पे है तहज़ीब ओ तरक़्क़ी का मदार
कौंद कर मज्लिस-ए-ख़ख़ल्वत से निकलना है तुझे
उठ मिरी जान मिरे साथ ही चलना है तुझे
कि बे-जान खिलौनों से बहल जाती है
ज़ीस्त के आहनी साँचे में भी ढलना है तुझे
उठ मिरी जान मिरे साथ ही चलना है तुझे
ज़िंदगी जेहद में है सब्र के क़ाबू में नहीं
नब्ज़-ए-हस्ती का लहू काँपते आँसू में नहीं
गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए
फ़र्ज़ का भेस बदलती है क़ज़ा तेरे लिए
क़हर है तेरी हर इक नर्म अदा तेरे लिए
ज़हर ही ज़हर है दुनिया की हवा तेरे लिए
रुत बदल डाल अगर फूलना फलना है तुझे
उठ मिरी जान मिरे साथ ही चलना है तुझे

आधुनिक युग में स्त्री दुनिया की नई आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आई है। विश्व की नई आर्थिक रणनीति में वह मजबूत स्तंभ मानी जा रही है। इसका सबूत वर्ल्ड बैंक की उस रिसर्च से मिलता है जिसके मुताबिक़ अर्थव्यवस्था में महिलाओं के शामिल होने से दोगुना लाभ मिलता है।आज दुनिया की हर कंपनी महिलाओं को ध्यान में रख कर ही अपनी रणनीति बना रही है। क्योंकि उनका उपभोक्ता, कर्मचारी, लीडर, भविष्य का निवेशक और भागीदार महिलाएँ ही है। अतः दुनिया इसे नई आर्थिकक्रांति के रूप में देख रही है। भारत में भी इसके संकेत स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सशक्त भूमिका का नया चेहरा नैना लाल किदवई, चंदा कोचर, चित्रा रामकृष्ण, इंदिरा नूई, किरण मजूमदार शाह आदि महिलाओं को कहा जा सकता है। अब महिलाएं खुलकर अपनी बात सोशल साइट्स पर कह रही है इससे यह बात साबित होती है कि महिलायें अब टेक्नालॉजी के मामले में भी आगे बढ़ रही हैं। ग़र्ज़ यह कि हर क्षेत्र, शिखर और पद को विजित करके स्त्री ने इस बात को साबित कर दिया है कि-

वह हमीं हैं जिनके हाथों ने।
गैसू-ए-ज़िंदगी सवारे हैं ।।

महिलाओं को सशक्त बनाना समाज के लिए, समृद्धि और सामर्थ्य का स्रोत बनता है। महिलाओं को समाज में समान अवसर और अधिकार प्राप्त होते हुए उनका योगदान बढ़ता है और समाज को पूर्णता की दिशा में अग्रसर करता है। इसके अलावा, महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने से परिवारों और समाज का कुल स्तर भी बढ़ता है। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में एक सवाल यह भी उठता है कि वह कैसी हम महिला की कि आज़ादी की बात कर रहे हैं नारी किस प्रकार की आज़ादी चाहती है। क्या यह परम्परा और परिवार की एकजुटता, त्याग और समर्पण भावना, और नैतिक मूल्यों से छुटकारा पाना चाहती है जो कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इसलिये समझने की ज़रूरत है कि हम स्त्री की स्वतंत्रता और आधुनिकता पर कहीं अपनी पहचान न खो दें। यह तो नहीं कहा जा सकता कि स्त्री को स्वतंत्रता नहीं चाहिए या उसे मर्दों के दोश ब दोश नहीं चलना चाहिए लेकिन उसे अपने विशिष्ट स्थान, राष्ट्र, संस्कृति, भाष, नैतिक मूल्यों को नज़र अंदाज नहीं करना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति और अन्धानुकरण को अपना जीवन पर्याय नहीं बनाना चाहिए जिसके कारण हमारे नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है।

निष्कर्ष:-

तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वह किसी भी रूप में नारी का आदर नहीं करता। महिला स्वयं में एक सशक्त शक्ति धन है जो धैर्य और अनुशासन के साथ चलकर समाज और देश के निर्माण में अपना बड़ा योगदान दे रही है। अंत में निम्न्न पंक्तियां इस शीर्षक शक्ति स्वरूपा नारी के विविध आयाम का सार है-

सूर्य से तपकर निरंतर बन गए हम खुद अगन।
अब भला क्यों कर जलाएगी हमें कोई तपन ।।

सुझाव :-

महिलाओं को अगर हम बाइख्तियार बनाना चाहते हैं तो व्यवसाय के क्षेत्रों में कौशल और ज्ञान विकसित करने में महिलाओं की सहायता करना, महिलाओं को पूंजी और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करके अपना व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए प्रोत्साहित करना, महिलाओं को ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करें जो उन्हें स्वयं के व्यवसाय को बढ़ाने में सहायता करेंगी । लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव के बारे में भारत में जागरूकता पैदा करना, महिलाओं को सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देकर उनके नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मुल्की की टकी में महिलाओं की भागीदारी के प्रति लोगों का नज़रिया बदलना, और महिलाओं को अबला के बजाय सबला के रूप में देखा जाना चाहिए। वैश्विक समाज के रूप में प्रगति के लिए हम व्यक्तिगत रूप से कुछ क़दम उठा सकते हैं। शिक्षा तक बेहतर पहुंच में निवेश करके, लड़कियों को प्रेरक शिक्षकों के साथ जोड़कर और महिलाओं को नेतृत्व की स्थिति में कदम रखने के लिए प्रोत्साहित करके, हम और अधिक महिलाओं को साहसी बना सकते हैं

संदर्भ :-

1-https://urdu.khamenei.ir>news
2-https://www.rekhta.org/?lang=hi
3-https://www.amarujala.com>kavya
4-इंगित 2013 मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा ग्वालियर
5- महिला सशक्तिकरण; सिद्धांत, व्यवहार, प्रक्रिया और महत्वः जून 2021 लेखकः महबुब महबुब ढाका विश्वविद्यालय
6- महिला सशक्तीकरण और नारीवाद पी.डी. शर्मा
7- भारत में महिला समानता, 2000 के उमा देवी डिस्कवरी पब्लिकेशन हाउस, न्यू ह्या हाउस पृष्ठ क्रमांक 31

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कौशल विकास पर महाभारत का प्रभावः एक विश्लेषणात्मक

प्रकाश कुमार अहिरवार

सहायक प्राध्यापक
शासकीय आदर्श
कन्या महाविद्यालय, श्योपुर

शोध सारांश :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और कौशल विकास भारतीय शिक्षा प्रणाली के समकालीन सुधारों के मुख्य स्तंभ हैं। NEP 2020 ने शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने और व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में कई नवाचारी कदम उठाए हैं। इसके विपरीत, महाभारत, एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य, शिक्षा और कौशल विकास की गहरी धारणाएँ प्रस्तुत करता है, जिसमें धर्म, नीति, और युद्धकला पर जोर दिया गया है। महाभारत में शिक्षा का दृष्टिकोण व्यापक और व्यावहारिक था। इसमें केवल शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं बल्कि युद्धकला, नेतृत्व, और नैतिकता जैसे व्यावहारिक कौशल पर भी जोर दिया गया। अर्जुन की तीरंदाजी और कृष्ण के उपदेश इस बात को दर्शाते हैं कि शिक्षा और कौशल विकास समाज और धर्म की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। NEP 2020 ने भी शिक्षा में सुधार और व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं, जैसे कि तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों को स्कूलों और कॉलेजों में शामिल करना। महाभारत की शिक्षाएँ, जैसे नेतृत्व और समस्या समाधान की क्षमताएँ, NEP 2020 के उद्देश्यों के साथ मेल खाती हैं और इनसे प्रेरणा ली जा सकती है। इस शोध का निष्कर्ष यह है कि महाभारत की प्राचीन शिक्षाएँ NEP 2020 और कौशल विकास की आधुनिक नीतियों में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। महाभारत की नैतिकता, नेतृत्व और जीवन कौशल की शिक्षाएँ आज की शिक्षा प्रणाली में सुधार और प्रासंगिकता के लिए उपयोगी हो सकती हैं, जिससे विद्यार्थियों को अकादमिक और व्यावसायिक दोनों दृष्टिकोण से लाभ हो सके।

कीवर्ड्सःराष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, कौशल विकास, महाभारत, शिक्षा प्रणाली, व्यावसायिक शिक्षा, नैतिकशिक्षा, जीवन कौशल, तुलनात्मक अध्ययन, धर्म और नीति, सामाजिक उत्थान।

प्रस्तावना :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और कौशल विकास भारतीय शिक्षा प्रणाली के दो प्रमुख स्तंभ हैं। NEP 2020 ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई नवाचारी उपाय किए हैं, जिनमें खासकर कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। इसमें शैक्षिक प्रणालियों में सुधार, नई शिक्षण विधियाँ, और व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके विपरीत, महाभारत, जो एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है, शिक्षा और कौशल विकास के प्रति अपने विशेष दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। महाभारत न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें शिक्षा और कौशल के महत्व पर भी गहरी धारणाएँ निहित हैं।

महाभारत में शिक्षा और कौशल विकास की महत्वपूर्ण शिक्षाएँ मौजूद हैं। यह महाकाव्य विभिन्न पात्रों और घटनाओं के माध्यम से यह सिखाता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक सफलता के लिए शिक्षा और कौशल कितना आवश्यक है। विशेष रूप से, महाभारत में धर्म, न्याय, और युद्धकला की शिक्षाएँ कौशल विकास के महत्व को उजागर करती हैं। कृष्ण और अर्जुन के संवादों में युद्ध की रणनीति, नीतिशास्त्र, और कर्मयोग पर जोर दिया गया है, जो व्यावसायिक कौशल और निर्णय लेने की क्षमता को प्रोत्साहित करते हैं। युधिष्ठिर, भीम, और अर्जुन जैसे पात्रों के माध्यम से महाभारत यह बताता है कि शिक्षा और कौशल केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के समग्र उत्थान के लिए आवश्यक हैं।

NEP 2020 का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना और व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत, स्कूल और कॉलेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम, तकनीकी शिक्षा, और कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है। महाभारत की शिक्षाएँ, जो सामरिक और रणनीतिक कौशल पर जोर देती हैं, NEP के उद्देश्यों का समर्थन कर सकती हैं। महाभारत के पात्रों की शिक्षा और कौशल की कहानियाँ आधुनिक शिक्षण विधियों में लागू की जा सकती हैं। अर्जुन की लगन और विशेषज्ञता की कहानियाँ विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकती हैं कि वे अपने कौशल में उत्कृष्टता प्राप्त करें। इसी प्रकार, महाभारत में दी गई तात्त्विक और नैतिक शिक्षा NEP की दृष्टि को और मजबूत कर सकती है, जो शिक्षा को केवल ज्ञान के रूप में नहीं, बल्कि नैतिक और व्यावसायिक क्षमताओं के रूप में भी देखने की आवश्यकता को दर्शाती है।

महाभारत का शिक्षा और कौशल विकास के प्रति दृष्टिकोण NEP और कौशल विकास की आधुनिक नीतियों में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। इसके गहन दृष्टिकोण को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करके, हम पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित और प्रासंगिक बना सकते हैं। यह अध्ययन दिखाता है कि प्राचीन शिक्षाएँ और परंपराएँ आज की शिक्षा नीतियों को समृद्ध और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

शोध के उद्देश्य

1. महाभारत की शिक्षा प्रणालीः महाभारत में शिक्षा और कौशल विकास की अवधारणाओं का विश्लेषण करना।
2. NEP और कौशल विकास की नीतियों की तुलनाः NEP 2020 और महाभारत में मौजूद शिक्षा और कौशल विकास की नीतियों की तुलना करना।
3. प्रासंगिकता का अध्ययनः महाभारत की शिक्षाओं की आधुनिक शिक्षा नीति और कौशल विकास में प्रासंगिकता को समझना।

4. नौकरी योग्यताओं और नैतिक शिक्षाः महाभारत के दृष्टिकोण से नौकरी योग्यताओं और नैतिक शिक्षा की आधुनिक नीतियों पर प्रभाव का विश्लेषण करना। शोध परिकल्पना

की दो परिकल्पनाओ है :- 1- महाभारत की शिक्षाएँ और पद्धतियाँ शिक्षा और कौशल विकास के आधुनिक दृष्टिकोण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। 2- NEP 2020 में महाभारत के दृष्टिकोण की प्रासंगिकता और उन पर आधारित सुधार, जैसे कि नेतृत्व कौशल, नैतिक शिक्षा, और जीवन कौशल, इस अध्ययन का केंद्र होंगे।

शोध विधि :-

1. साहित्य समीक्षाः महाभारत और NEP 2020 के पाठ्यक्रम, सिद्धांतों, और नीतियों का विश्लेषण।
2. तुलनात्मक अध्ययनः महाभारत में वर्णित शिक्षा और कौशल विकास की अवधारणाओं की NEP 2020 की नीतियों से तुलना।
3. प्रासंगिक डेटा संग्रहः शैक्षिक दस्तावेजों, सरकारी रिपोर्टों और पूर्व शोधों से डेटा संग्रह।
4. विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणः महाभारत की शिक्षाओं का NEP के संदर्भ में विश्लेषण और समकालीन शिक्षा प्रणाली में उनके प्रभाव का मूल्यांकन।

पूर्व शोध का अध्ययन :-

महाभारत, विमलनाथ शर्मा (सं), भारतवर्ष प्रकाशन, 2021ः इस संस्करण में महाभारत की प्रमुख कहानियों और पात्रों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। विमलनाथ शर्मा द्वारा संकलित इस संस्करण में प्राचीन टीकाओं और संस्करणों की तुलना की गई है और आधुनिक दृष्टिकोण को भी शामिल किया गया है। यह संस्करण शोधकर्ताओं और पाठकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें महाभारत की गहराई और विविधता को समझाने के लिए ऐतिहासिक और आधुनिक दृष्टिकोणों का समावेश किया गया है।

महाभारतः आदिकाव्य, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 2019ः आचार्य चतुरसेन शास्त्री का यह संस्करण महाभारत की कथा को ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। इसमें आदिकाव्य की पारंपरिक व्याख्या और सांस्कृतिक संदर्भ शामिल हैं, जो महाभारत के ऐतिहासिक महत्व को समझने में सहायक हैं। यह संस्करण महाभारत के साहित्यिक और ऐतिहासिक पहलुओं को स्पष्ट करता है, जिससे पाठकों को इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, 2020ः यह दस्तावेज नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करता है। NEP 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता, समावेशिता, और व्यावसायिक विकास पर जोर दिया गया है। यह नीति शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए प्रस्तावित सुधारों का विवरण प्रस्तुत करती है। NEP 2020ः शिक्षा में नई दिशा, भारतीय शिक्षा आयोग रिपोर्ट, 2020ः इस रिपोर्ट में NEP 2020 के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और सिफारिशें दी गई हैं। रिपोर्ट शिक्षा प्रणाली में नवाचार, पाठ्यक्रम सुधार, और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। यह रिपोर्ट सुझाव देती है कि कैसे शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जा सकता है और इसका प्रभावी कार्यान्वयन कैसे संभव है। शर्मा, मनोज, ₹शिक्षा और महाभारत₹, शिक्षाविद प्रकाशन, 2022ः इस पुस्तक में महाभारत के शैक्षिक पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। इसमें महाभारत के शिक्षाप्रद तत्वों, जैसे जीवन के मूलभूत पहलुओं और नैतिक शिक्षा पर गहराई से चर्चा की गई है। यह पुस्तक महाभारत की शिक्षाओं को आधुनिक शिक्षा और संस्कार के संदर्भ में स्पष्ट करती है, जो आज भी प्रासंगिक हैं।

वर्मा, सुरेश, ₹NEP 2020 और कौशल विकास₹, युवा पत्रिका, 2021ः इस लेख में NEP 2020 के तहत कौशल विकास की महत्वता और इसके कार्यान्वयन पर चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम कैसे शुरू किए जा रहे हैं और उनका शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यह लेख विशेष रूप से युवा पीढ़ी के कौशल और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में NEP 2020 की भूमिका को उजागर करता है।

इनका अध्ययन हमें महाभारत के शैक्षिक पहलुओं और NEP 2020 के सुधारात्मक प्रयासों को समझने में मदद करता है। महाभारत की प्राचीन शिक्षाएं और NEP 2020 के आधुनिक दृष्टिकोण दोनों ही भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। महाभारत में प्रस्तुत नैतिकता और शिक्षा के मूल्य आज भी प्रासंगिक हैं, जबकि NEP 2020 के सुधार भारतीय शिक्षा को नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ऐतिहासिक और आधुनिक दृष्टिकोण मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में समृद्धि और विकास ला सकते हैं।

शिक्षा प्रणाली: महाभारत और NEP 2020 की तुलना :-

महाभारत में शिक्षा का दृष्टिकोण पारंपरिक और व्यापक था। इसमें शिक्षा को जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ा गया, जैसे युद्धकला, नीति, और धर्म। इस महाकाव्य में शिक्षा केवल शास्त्रों और संस्कारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान और कौशल विकास पर भी जोर दिया गया था। उदाहरण के लिए, गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तीरंदाजी में प्रशिक्षित किया, और यह प्रशिक्षण उनकी व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज और धर्म की रक्षा के लिए था। NEP 2020, आधुनिक समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा प्रणाली को सुधारने का प्रयास कर रही है। इसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, सभी स्तरों पर गुणात्मक सुधार की योजना है। NEP 2020 शिक्षा को अधिक समावेशी, व्यावसायिक और व्यावहारिक

बनाने पर जोर देती है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में विविधता, गुणवत्ता और विद्यार्थियों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई पहल की गई हैं, जैसे कि कौशल आधारित शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, और शैक्षणिक उत्कृष्टता पर ध्यान देना।

कौशल विकास :-

महाभारत और NEP का मेल महाभारत में कौशल विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। युद्ध कौशल, नेतृत्व, और नैतिक शिक्षा की बातें महाभारत के प्रमुख तत्व हैं। अर्जुन और भीम जैसे पात्रों की युद्धकला, धैर्य, और रणनीति की कहानियाँ कौशल विकास के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं। कृष्ण के उपदेश और युधिष्ठिर की नीतियाँ नेतृत्व और समस्या समाधान की रणनीतियों को दर्शाती हैं।

NEP 2020 में भी कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है। यह नीति व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी कौशल, और व्यावहारिक अनुभव पर जोर देती है। NEP 2020 में स्कूलों और कॉलेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम और कौशल विकास कार्यक्रमों को शामिल किया गया है ताकि विद्यार्थियों को व्यावसायिक दुनिया के लिए तैयार किया जा सके। इस दृष्टिकोण में महाभारत की शिक्षाओं से प्रेरणा ली जा सकती है, जैसे कि रणनीति, नेतृत्व और समस्या समाधान की क्षमताओं को विकसित करना।

नैतिक शिक्षा और चरित्र निर्माण

महाभारत का दृष्टिकोण नैतिक शिक्षा और चरित्र निर्माण के प्रति गहन था। इस महाकाव्य में धर्म, सत्य, और नैतिकता पर जोर दिया गया है। पात्रों की कहानियाँ और उनके कार्य नैतिकता और चरित्र निर्माण के आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। युधिष्ठिर का धर्मनिष्ठा और द्रोणाचार्य की शिक्षा के प्रति समर्पण नैतिक शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाते हैं।

NEP 2020 में नैतिक शिक्षा को भी महत्व दिया गया है। यह नीति शिक्षा के माध्यम से नैतिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। NEP के तहत, शिक्षा को केवल शैक्षणिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण और नैतिक विकास पर भी ध्यान दिया गया है। महाभारत की शिक्षाओं से इस दिशा में प्रेरणा लेकर, NEP नैतिक शिक्षा को और प्रभावी बनाने का प्रयास कर रही है। जीवन कौशल और समस्या समाधान महाभारत में जीवन कौशल की शिक्षाएँ व्यापक और विविध थीं। इसमें युद्ध कौशल, नेतृत्व, और समस्या समाधान की क्षमताएँ शामिल थीं। अर्जुन की तीरंदाजी की कला, कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन की रणनीति, और भीम की शारीरिक शक्ति जीवन कौशल और समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। महाभारत में, व्यक्तिगत और सामूहिक संघर्षों का समाधान करने के लिए विशेष कौशल और रणनीतियाँ प्रस्तुत की गई हैं।

NEP 2020 में जीवन कौशल और समस्या समाधान पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। यह नीति विद्यार्थियों को आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान की क्षमता, और जीवन कौशल सिखाने पर जोर देती है। NEP के तहत, पाठ्यक्रम में ऐसे पाठ शामिल किए गए हैं जो विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्याओं से निपटने में मदद करें। महाभारत की शिक्षाओं से यह सीखने को मिलता है कि जीवन कौशल और समस्या समाधान की क्षमताएँ केवल अकादमिक सफलता के लिए नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी आवश्यक हैं।

निष्कर्ष :-

महाभारत और NEP 2020 की शिक्षा और कौशल विकास की नीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण दर्शाता है कि प्राचीन शिक्षाएँ और आधुनिक नीतियाँ किस प्रकार आपस में जुड़ी हुई हैं। महाभारत की शिक्षा, कौशल विकास, नैतिकता, और जीवन कौशल की शिक्षाएँ आज की NEP नीतियों में भी प्रासंगिक हैं। दोनों दृष्टिकोणों में शिक्षा के व्यापक दृष्टिकोण और व्यावहारिक क्षमताओं को बढ़ावा देने की समान भावना है, जो कि भारतीय शिक्षा प्रणाली की समृद्धि के लिए आवश्यक हैं।

महाभारत की शिक्षाएँ NEP 2020 और कौशल विकास की नीतियों में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। इस महाकाव्य में प्रदान की गई नैतिक शिक्षा, नेतृत्व कौशल, और जीवन कौशल के सिद्धांत, NEP की नीतियों को समृद्ध बनाने और सुधारने में सहायक हो सकते हैं। महाभारत के पात्रों की रणनीतियाँ, नैतिक मूल्य, और समस्या समाधान की विधियाँ आज की शिक्षा प्रणाली में भी प्रासंगिक हैं। उदाहरण के लिए, अर्जुन की तीरंदाजी और कृष्ण के उपदेश, आधुनिक व्यावसायिक और नेतृत्व कौशल की नींव रख सकते हैं। इन प्राचीन शिक्षाओं को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करने से शिक्षा के क्षेत्र में समग्र सुधार संभव है, जिससे विद्यार्थियों को केवल शैक्षणिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन के विविध पहलुओं में दक्षता प्राप्त हो सके। भविष्य में, महाभारत की इन शिक्षाओं को NEP और कौशल विकास नीतियों में एकीकृत करने से शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक और गहन सुधार की संभावना है।

संदर्भ सूची :-

1- महाभारत, विमलनाथ शर्मा (सं), भारतवर्ष प्रकाशन, 2021।

2- महाभारतः आदिकाव्य, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 20191

3- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, 2020।

4- NEP 2020: शिक्षा में नई दिशा, भारतीय शिक्षा आयोग रिपोर्ट, 2020।

5- शर्मा, मनोज, ₹शिक्षा और महाभारत₹, शिक्षाविद प्रकाशन, 202216- वर्मा, सुरेश, NEP 2020 और कौशल विकास, युवा पत्रिका, 2021।

7- https://highereducation.mp.gov.in/?page=CR9KaqLtRMJVG WIc0MHBeQ%3D%3D

National Policy on Education 2020: NEW ERA IN EDUCATION

DR. JAHANGIR AHMAD LONE

Introduction :

National Education Policy (NEP) 2020 marks a significant shift in the approach towards education in the country. Approved by the Union Cabinet on July 29, 2020, the NEP 2020 replaces the previous National Policy on Education, 1986, making it the first education policy of the 21st century in India. This policy aims to address the challenges of accessibility, equity, quality, affordability, and accountability in the education system, thereby aligning it with the demands of a rapidly changing global landscape.

The NEP 2020 is built on the foundational pillars of access, equity, quality, affordability, and accountability. It seeks to foster an education system that contributes directly to transforming India into an equitable and vibrant knowledge society by providing high-quality education to all The policy introduces a multitude of reforms across various levels of education, from early childhood to higher education, emphasizing a holistic, learner-centered, flexible system that is geared towards meeting the needs of 21st-century learners. Key Aspects of the NEP 2020

1. Early Childhood Care and Education (ECCE) :

The NEP 2020 emphasizes the importance of early childhood care and education as the foundation of lifelong learning and development. It proposes a new curricular and pedagogical structure termed the 5+3+3+4 design, which integrates the first three years of preschool with the formal schooling years. This structure aims to ensure that children receive a robust foundation in their formative years, focusing on

2. School Education Reforms -

In the realm of school education, the policy envisions a shift from a content- heavy curriculum to one that prioritizes critical thinking, creativity, and problem-solving skills. The NEP 2020 advocates for the reduction of the curriculum to essential core concepts, encouraging experiential learning and holistic development. It also emphasizes the importance of mother tongue or regional language as the medium of instruction, especially in the foundational years, to promote better learning outcomes.

The policy also introduces reforms in assessment methods, moving away from high-stakes examinations to more comprehensive, continuous, and competency- based evaluations. This change aims to reduce the stress associated with board exams and promote a deeper understanding of subjects.

3. Higher Education Reforms -

In higher education, NEP 2020 proposes a complete overhaul to make it more inclusive, flexible, and multidisciplinary. The policy suggests the creation of large, multidisciplinary institutions, offering a wide range of subjects and a more liberal approach to education. It also recommends the establishment of the Higher Education Commission of India (HECI) as a single regulatory body for the entire higher education sector, excluding medical and legal education.

Another significant aspect of the NEP 2020 is the introduction of a four-year undergraduate program with multiple exit options, allowing students to leave with a certificate, diploma, or degree depending on the duration of their study. The policy also highlights the importance of research and innovation, proposing the establishment of a National Research Foundation (NRF) to foster a strong research culture across universities.

4. Vocational Education and Lifelong Learning :

Recognizing the importance of vocational education, the NEP 2020 aims to integrate vocational training into mainstream education, with the goal of at least 50% of learners receiving vocational exposure by 2025. The policy also promotes lifelong learning by facilitating continuous reskilling and upskilling opportunities, ensuring that individuals remain competitive in an ever- evolving job market.

5. Technology in Education :

The NEP 2020 acknowledges the transformative potential of technology in education, advocating for the widespread use of digital tools in teaching, learning, and assessment. It proposes the creation of a National Educational Technology Forum (NETF) to spearhead the integration of technology in education. Additionally, the policy encourages the development of digital infrastructure, content, and platforms to ensure that education is accessible to all, particularly inmremote and underserved areas.

6. Equity and Inclusion :

The policy places a strong emphasis on ensuring equity and inclusion at all levels of education. It identifies the need to address the barriers faced by marginalized groups, including socio-economically disadvantaged communities, gender, and differently-abled students. The NEP 2020 proposes targeted measures such as scholarships, special education zones, and inclusive curricula to bridge the gap and provide equitable educational opportunities to all learners.

Conclusion:

The National Education Policy 2020 is a visionary framework that seeks to transform the Indian education system by addressing its longstanding challenges and aligning it with global standards. By emphasizing holistic development, flexibility, and inclusivity, the policy aims to nurture well-rounded individuals who are equipped to thrive in a rapidly changing world. However, the successful implementation of the NEP 2020 poses significant challenges, including the need for substantial investment, capacity building, and coordination among various stakeholders. The policy's ambitious goals require careful planning and execution to ensure that its benefits reach all sections of society. As India embarks on this transformative journey, the NEP 2020 holds the promise of shaping a brighter future for the nation's youth, fostering a society that values knowledge, innovation, and inclusivity.

REFERENCES :

- Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Ministry of Education. Retrieved from
- https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English _0.pdf
- Ministry of Human Resource Development. (2020). National Education
- Policy 2020: A Transformative Reform in Indian Education System.
- Government of India. Available at
- https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English.
- pdf
- Kumar, K. (2020). Understanding the National Education Policy 2020: Perspectives and Prospects. Economic and Political Weekly, 55(36), 14-18.
- Agarwal, P. (2020). Implications of NEP 2020 on Higher Education in India. Journal of Educational Planning and Administration, 34(3), 45-52.
- Mukherjee, P. (2021). Pedagogical Approaches in NEP 2020: An Analysis.
- International Journal of Educational Reform, 31(1), 23-36.
- Reddy, V. & Kaul, V. (2020). Early Childhood Care and Education in NEP 2020: Rethinking Curriculum and Pedagogy. Indian Journal of Educational Research, 39(4), 85-101.
- Patel, A. (2020). Technology Integration in NEP 2020: A New Horizon for Indian Education System. International Journal of Educational Technology, 22(2), 34-41.

Advancing research-oriented progress of students through NEP 2020

BY MOHD BILAL WANI
bilalwani773@gmail.com

DR. KALYAN SINGH KUSHWAH
kalyansinghkushwah85@gmail.com

Introduction :

Under the leadership of current prime minister and an experts varied backgrounds has planned to implement a new education policy called Indian National Education Policy (NEP-2020). NEP-2020 is an innovative and futuristic proposal with both positive and negative aspects, framed with the objective to provide a quality school education and higher education to all.

The quality in higher education is continuously improving in the whole world due to efforts of various accredited agencies set by Governments. Higher education institutions should have objectives of not only providing student centric quality education but also involve them in new knowledge creation that may be possible by developing good infrastructure for teaching and learning and other significant. By implementing innovative and effective pedagogy in training, students are made to grasp the concepts for improving their analytical skills and creativity. These techniques help students as well as faculty members to get involved in new knowledge creation and their publications.

"Learning gives creativity, creativity leads to thinking, thinking provides knowledge, and knowledge makes you great." (A.P.J. Abdul Kalam).

As per a suggestion of NEP-2020, Ph.D. scholars should be exposed to teaching-training, evaluation, and other activities besides during other time of their mega research. It would be beneficial to use them as teaching assistants or as laboratory assistants to teach laboratory courses at both undergraduates and postgraduate levels.

Students Participation in Research:

Student's commitment and dedication along with competitiveness in research & innovation is an important aspect. NEP 2020 provides opportunities to involve students in research activities such as research based projects guided and provided by faculty members and industry partners.

A Perspective for Research Excellence :

By integrating diverse fields of study, the policy aims to generate innovative solutions and advance knowledge in various domains. Core vision in this is the promotion and exploration of interdisciplinary research.

Capacity Building and Training :

A significant component of the NEP 2020 is that it emphasizes on capacity building and training for research students. The policy supports the development of specialized training programs, workshops, meetings etc. that enhances research skills in students.

Evaluation and Feedback Mechanisms :

To continually improve the research environment, the NEP 2020 proposes this system that is designed to assess the effectiveness of research programs and provide constructive feedback to students and institutions.

Research is a continuous process in higher educational institutions due to different perspectives that includes; identification of new problems, creation of new knowledge in a given subject, interconnecting and interrelating different subjects, identifying new skills, ideas, concepts, theories, developing new

technologies and systems which makes life more comfortable, finding the relationship between various variables of a system, etc. Students are trained to use both explorative research model and empirical research model to convert their projects in to effective case studies and publishable research.

The National Education Policy (NEP) 2020 aims to promote research associated progress in the field of higher education through various strategies that includes some points such as:

- Emphasis on research and publications at all stages of higher education.
- Introduction of multidisciplinary subjects to foster creative thinking.
- Collaboration with industries and other universities.
- Providing low-cost high-quality education.
- 52
- Compulsory research components and patents at specific academic levels.
- Making Ph.D. an essential qualification for faculty members.
- Encouraging higher education institutions for innovation, autonomy, and strategic planning.

Being important as an organization in the society, higher educational institutions have two major objects which include enhancing the knowledge, skills, and experience of the aspiring students, and creation of new knowledge in identified/related areas of study. In this regard, the higher education institutions can do innovations in the process of providing quality education to its students by means of setting its objects implementing them effectively by means of various best practices.

Conclusion :

The New National Education Policy 2020 represents a significant step forward in advancing the research capabilities of students in higher education. By focusing on enhanced funding, improved infrastructure, interdisciplinary approaches, and capacity building, the NEP 2020 aims to create a vibrant and supportive research environment. Through these efforts, the policy expects to enhance the progress of research students, ultimately contributing to a more innovative and knowledge-driven society. The quality higher education has the objective of developing human beings who are responsible for creating better society by means of improved human value-based discipline, and respecting each other for growth and prosperity. Quality higher education also makes everyone to contribute to discovering new technology, adopting new technology, or promoting new technology which can contribute to the progress of society. It is expected that the new education policy which is research focused, will accelerate the attainment of the above objectives and makes every stakeholder as innovator.

The policy aimed to create a more dynamic and supportive ecosystem, ultimately motivating research students towards bigger achievements and contributions in their specific fields. Among its many objectives, the NEP 2020 places significant emphasis on enhancing the research capabilities of students in higher education. This chapter investigates the transformative initiatives introduced by the NEP 2020, exploring how these measures are designed to uplift research students' progress and foster a culture of innovation and excellence.

References :

Aithal, P. S. (2016). How to increase research productivity in higher educational institutions-SIMS model. International Journal of Scientific Research and Modern Education (IJSRME), 1, 447-458.

Aithal, P. S., & Kumar, P. M. (2016). Application of Theory A on ABC Model to enhance organizational research productivity in higher education. International Journal of Advanced Trends in Engineering and Technology (IJATET), 1(1), 142-150.

Aithal, P. S., & Aithal, S. (2020). Implementation strategies of higher education part of national education policy 2020 of India towards achieving its objectives. International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS), 5(2), 283-325.

Deb, P. (2020). Vision for Foreign Universities in the National Education Policy
2020: A Critique. Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies, 1-29.
https://www.rgics.org/wpcontent/uploads/Foreign-Universities-in-India-Palash-

Deb.pdf Dundar, H., & Lewis, D. R. (1998). Determinants of research productivity in higher education. Research in higher education, 39(6), 607-631.
Kumar, K., Prakash, A., & Singh, K. (2020). How National Education Policy
2020 can be a lodestar to transform future generation in India. Journal of Public Affairs, 20(4), e2500. https://doi.org/10.1002/pa.2500
Kumar, M. J. (2020). National Education Policy: How does it Affect Higher Education in India?. IETE Technical Review, 37(4), 327-328.
Mukhopadhyay, M. (2005). Total quality management in education. Sage. National Education Policy 2020, Ministry of Human Resource
Development, Govt. of India.
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English _0.pdf
Rajesh Ranjan, "Private Universities in India and Quality of Education", International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE),
Volume 1, Issue 9, Page Number 140-144, 2014.
Srinivasa Rao, A. B., Kumar, P. M., & Aithal, P. S. (2015). Strategic Planning
in Higher Education Institutions: A Case Study of SIMS-VISION 2025.
International Journal of Educational Science and Research (IJESR), 5(2

CLIMATE CHANGE AND ENERGY TRANSITION

Deepak Kumar Verma

Introduction :

The word 'resilience' is defined in the Cambridge dictionary as "the ability of a substance to return to its usual shape after being bent, stretched, or pressed." In recent years, if there is one major economy in the world that displayed that quality beyond any reasonable doubt, it is India. After the pandemic-induced contraction in FY21, the Indian economy recorded two years of above-7 per cent growth and looks set to repeat it for the third year in FY24. In the first half of the current financial year, the economy has grown 7.7 per cent in real terms compared to the first half of FY23. Barring unforeseen global developments and based on historical patterns of growth in the second half, the overall growth rate for the year may even exceed the Reserve Bank of India (RBI) projection of 7 per cent. The National Statistical Office, in its First Advance Estimates, has estimated India's real GDP to grow at 7.3 per cent in FY24, higher than the forecast made by various national and international agencies. 2.2 Resilience is on display, not just in terms of economic growth. The unemployment rate has declined, and economic activity continues to rise, as is evident in the healthy performance of high-frequency indicators. The volume of E-way bill generation continues to grow steadily. Rail freight traffic and port cargo traffic are growing at a healthy pace. The focus on infrastructure creation and demand for housing is driving construction activity, as reflected in increased steel consumption and cement production. In terms of mobility, which was most affected by the pandemic, the number of Indians taking air travel has exceeded the pre-Covid levels. 2.3 What contributed to India's resilience? For India, resilience is not a new phenomenon. Compared to some materially advanced societies, Indians have faced natural disasters with greater fortitude and have gone about rebuilding their lives with stoicism and determination. That has played a role in the post-Covid recovery, too. 2.4 Furthermore, resilience is not just the outcome of measures taken after the onset of the global pandemic. It is also an outcome of the policy decisions taken six years before the pandemic. Smart Covid management through localised lockdowns and rapid nationwide geopolitical shocks, monetary tightening, and sluggish global demand. As PFCE is also contributing to the reinvigoration of private capital investment, it has lent resilience to the domestic demand in the Indian economy. This has aided India to emerge as the fastest-growing major economy in the past few years. 2.14 The secured consumption base resulted from the robust increase in Per Capita Real Gross National Income (GNI) in the nine years preceding the onset of the pandemic. The Per Capita Real GNI registered a compounded annual growth rate (CAGR) of 5.3 per cent from FY12 to FY20 (Chart 2). This is largely on account of the strong vision and roadmap laid by the government, focusing on growth at the macro level, and market-friendly reforms introduced that eased government regulations and gave the private sector much- needed impetus to grow. The reduced compliance burden, simplified laws, opening up various sectors, and strategic disinvestment of public sector enterprises have given space and opportunities to the private sector to grow.

CLIMATE CHANGE AND ENERGY TRANSITION :

Since the last Economic Survey was written, there has been no dearth of conferences, meetings, and summits dedicated to climate change. It continues to dominate policy and other discourses around the world. It provides a ready-made topic for think tanks, experts, and policy wonks to appear suitably concemed. However, the world is realising what experts and policymakers in advanced nations are resisting that its current approach to dealing with climate change is flawed for one very simple reason. It continues to ignore trade-offs. But practical men and women have been unable to avoid recognising trade-offs. Countries had to push back their own timelines.

The impact of climate change will affect developing countries disproportionately because these countries are already vulnerable and less resilient and must prioritise their economic development needs. Though not part of the problem, developing countries are part of the solution. Developing countries have

already accepted the need for ambitious greenhouse gas emissions reduction, as evidenced by their Nationally Determined Contributions (NDCs), on the condition that the developed countries provide resources at a reasonable cost. Incorporating the impact of climate change into the development model, also called the low- carbon development pathways, requires access to technology and financial resources in the order of trillions of dollars. Even by conservative standards, the estimate of resource requirement (considering that not all the needs have been costed) ranges between USD 5.8 - 11.5 trillion till 20309. With financial resources and technology not reaching developing countries at the desired pace, quantity, or terms, economic growth, and prosperity, albeit sustainably, will equip developing countries with the strength to address climate change.

One such question is "Is imagining a world without climate change all that useful? It almost goes without saying that if we could keep the benefits of fossil-fuelled industrialisation and jettison the negative side effects of climate change, we would do so. But what makes decision-making so thomy is that for most climate-sensitive societal outcomes....the net effect of fossil-fuelled industrialisation and technological change has been good... Thus, "without climate change" is not always the most relevant hypothetical counterfactual, and often "without fossil-fuelled industrialisation and technological progress" is more relevant. This framing gives a more honest and holistic picture of the state of the climate change problem, and it does not misleadingly paint the current systems as being less attractive than they actually are. When we assess the best course of action going forward, we must compare alternative systems and weigh the benefits of avoided climate change against the costs of transitioning to alternative energy and agricultural systems over time. This is the only way to be accurate and forthright on the trade-offs we face."10

India has adopted the mission-mode approach to address climate change. The National Action Plan on Climate Change (NAPCC) 11 outlines the strategy to enhance the sustainability of the country's development path. Based on the principles of achieving high economic growth while also improving the ecological sustainability of India's developmental path, NAPCC includes nine national missions covering solar, water, energy efficiency, forests, sustainable habitat, sustainable agriculture, sustaining the Himalayan Ecosystem, strategic knowledge for climate change, and the recently added mission on human health. A broad spectrum of climate action adaptation and mitigation, including demand side management - is being taken through the programme. States and Union Territories (UTs) have been encouraged to prepare their State Action Plan on Climate Change (SAPCC) consistent with strategies in the NAPCC. So far, 34 SAPCCs are operational, laying out sector-specific and cross-sectoral, time-bound priority actions for the state. 6.16. India has made significant progress on climate action. The addition to the installed solar power capacity was 15.03 GW in 2023-24, reaching a cumulative of 82.64 GW on 30 April 2024.12 Under the National Mission on Enhanced Energy Efficiency, the eighth cycle of the Perform Achieve and Trade (PAT) scheme13 was notified in June 2023 for the period 2023- 24 to 2025-26 and covers sectors like Aluminium, Cement, Chlor-Alkali, Iron & Steel, Pulp & Paper, and Textile with a total energy saving target of 0.3370 MTOE (million tonnes of oil equivalent). The PAT scheme in its various cycles has resulted in a significant amount of energy savings and a reduction in greenhouse gas (GHG) emissions

References :

1. https://dea.gov.in/sites/default/files/The%20Indian%20Economy%20- %20A%20Review Jan%202024.pdf
2. https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf
3. https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/dec/doc202112 101.pdf

उच्च शिक्षा में महिलाओं की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. शिवानी भगत
असिस्टेंट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
राजकीय महाविद्यालय ऊना,
हिमाचल प्रदेश।

डॉ. मनीष कुमार सैनी
असिस्टेंट प्रोफेसर
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस
(शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय)
श्योपुर, मध्यप्रदेश।

सारांश :-

इस अध्ययन के अन्तगर्त उच्च शिक्षा में महिलाओं की भूमिका के विषय पर चर्चा की गई है। इस शोध-पत्र में पाया गया है कि वर्तमान समय में उच्च शिक्षा में महिलाओं की भूमिका की वह स्थिति तो नहीं है जैसा कि पहले हुआ करती थाळी, इसमें काफी बदलाव आए है चाहे बदलावों की गति धिमि ही क्यों न हों। इस अध्ययन के जरिए यह समझाने का प्रयागस किया गया है कि किस तरह से उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी समय के साथ-साथ महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है और यह समाज में उनके समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। पहले जहां महिलाओं की शिक्षा सीमित थी, वहीं अब वे उच्च शिक्षा के माध्यम से सभी क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।

हालाँकि, अभी भी कुछ क्षेत्रों में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा में चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे कि पारिवारिक दबाव, आर्थिक सीमाएं और सामाजिक पूर्वाग्रह। फिर भी, बढ़ती जागरूकता और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकारी प्रयासों के कारण महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी लगातार बढ़ रही है

मुख्य शब्द : उच्च शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, योजना, समाज, भारत

समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। यह न केवल किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में महिलाओं की शिक्षा देश में जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरे शब्दों में भारत में महिलाओं की शिक्षा का कड़वा सच यह है कि जब विकल्प आता है तो वे अपनी बेटियों की बजाय बेटों की शिक्षा पर निवेश करना पसंद करती हैं, ऐसा माना जाता है कि बेटा बुढ़ापे में पिता का साथ देगा और दूसरी तरफ कुछ समय बाद लड़की की शादी हो जाएगी, वह दूसरे परिवार में चली जाएगी, इसलिए महिला शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है।

भारत में स्त्री शिक्षा -

भारत में वैदिक काल से ही स्त्रियों के लिए शिक्षा का व्यापक प्रचार था। मुगल काल में भी अनेक महिला विदुषियों का उल्लेख मिलता है। पुनर्जागरण के दौर में भारत में स्त्री शिक्षा को नए सिरे से महत्व मिलने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वार सन 1854 में स्त्री शिक्षा को स्वीकार किया गया था। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के कारण साक्षरता के दर 0.2% से बदकर 6% तक पहुँच गया था। कोलकाता विश्वविद्यालय महिलाओं को शिक्षा के लिए स्वीकार करने वाला पहला विश्वविद्यालय था। 1986 में शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति प्रत्येक राज्य को सामाजिक रूपरेखा के साथ शिक्षा का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1947 से लेकर भारत सरकार पाठशाला में अधिक लड़कियों को पढ़ने का मौका देने के लिये, अधिक लड़कियों को पाठशाला में दाखिला करने के लिये और उनकी स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश में अनेक योजनाएँ बनाए है जैसे कि निःशुल्क पुस्तकें, दोपहर की भोजन आदि। सन् 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पुनर्गठन देने को सरकार ने फैसला किया। सरकार ने राज्य कि उन्नती की लिये, लोकतंत्र की लिये और महिलाओं का स्थिति को सुधारने की लिये महिलाओं को शिक्षा देना ज़रूरी समझा था।

भारत की स्वतंत्रता के बाद सन् 1947 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को बनाया गया। आयोग ने सिफारिश किया कि महिलाओं कि शिक्षा में गुणवता में सुधार लिया जाए। भारत सरकार ने तुरन्त ही महिला साक्षारता की लिये साक्षर भारत मिशन की शुरूआत किया था। इस मिशन में महिलाओं की अशिक्षा की दर को नीचे लाने की कोशिश की गई है। बुनियादी शिक्षा उन्हें अनिवार्य है और अपने स्वयं के जीवन और शरीर पर फैसला करने का अधिकार देने, बुनियादी स्वास्थ्य, पोषण और परिवार नियोजन की समझ के साथ लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा प्रदान हो रही है। लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा गरीबी पर काबू पाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुछ परिवारों का काम कर रहे पुरुष दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं में विकलांग हो जाते हैं। उस स्थिति में, परिवार का पूरा बोझ परिवारों की महिलाओं पर टिका रहता है। महिलाओं की ऐसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हे शिक्षित किया जाना चाहिए। वे विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश कर सकती हैं। महिलाएँ शिक्षकों, डॉक्टरों, वकीलों और प्रशासक के रूप में काम कर रही हैं। शिक्षित महिलाएँ अच्छी माँ बन सकती हैं। महिलाओं की शिक्षा से दहेज समस्या, बेरोज़गारी की समस्या, आदि सामाजिक शांति से जुड़े मामलों को आसानी से हल किया जा सकता है।

स्वरूप और महत्व -

महत्व-शिक्षा वयस्क जीवन के प्रति स्त्रियों के विकास के लिए एक आधार के रूप में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा अन्य अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लड़कियों और महिलाओं को सक्षम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत सी समस्याओं को पुरुषों से नहीं कह सकने के कारण महिलाएं कठिनाई का सामना करती रहती हैं। अगर महिलाएँ शिक्षित हों तो वे अपने घरों की सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय विकास में मदद करता है। आर्थिक विकास और एक राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में मदद करता है। महिला शिक्षा एक अच्छे समाज के निर्माण में मदद करती है। महिला शिक्षा पर सरकार को जोर देना चाहिए।

शिक्षा प्राप्त करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का अर्थ यह नहीं है कि नारी शिक्षित होकर पुरुष को अपना प्रतिद्वन्द्वी मानते हुए उसके सामने ही मोर्चा लेकर खड़ी हो जाए। बल्कि वह आर्थिक क्षेत्र में भी पुरुष के बराबर समानता का अधिकार प्राप्त करके उसके साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध के समीकर्ण बनाने में सक्षम बने। जिस प्रकार शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानसिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। अगर नारी ही शिक्षित नहीं होगी तो वह न तो सफल गृहिणी बन सकेगी और न कुशल माता। समाज में बाल-अपराध बढ़ने का कारण बालक का मानसिक रूप से विकसित न होना है। अगर एक माँ ही अशिक्षित होगी तो वह अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करके उनका मानसिक विकास कैसे कर पाएगी और एक स्वस्थ समाज का निर्माण एवं विकास सम्भव नहीं हो सकेगा।

महिला शिक्षा का महत्व-

यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, हालांकि, यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं, महिला सशक्तीकरण का अर्थ है भारत माता का सशक्त होनाष्, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में महिला शिक्षा देश के समग्र विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल मानव संसाधनों के आधे हिस्से के विकास में मदद करती है। लेकिन घर और बाहर जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में। अगर यह कहा जाए कि शिक्षा सभी समस्याओं की कुंजी है, तो यह अनुचित नहीं होगा। विचारकों ने शिक्षा की कई परिभाषाएँ दी हैं लेकिन इन परिभाषाओं में से सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा वह है जो एम। फुले ने सामने रखी थी।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था-

यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। सशक्त महिला का मतलब है सशक्त भारत माता।

हमारे देश में महिलाओं की आबादी लगभग आधी है। महिलाओं को सशक्त बनाने से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत होगी। साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार, महिला साक्षरता स्तर 65.46 प्रतिशत है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 80 प्रतिशत से अधिक है।

शिक्षा को महिला सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर माना जाता है। विकास के लिए स्वतंत्रता के सुनहरे दरवाजे को खोलने के लिए शिक्षा ही एकमात्र कुंजी है। महिलाओं के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा का समर्थन करने के लिए शिक्षा एक प्रमुख भूमिका निभाती है। भारत में महिला शिक्षा सरकार और समाज दोनों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय रही है क्योंकि शिक्षित महिलाएँ देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाओं की शिक्षा सबसे शक्तिशाली उपकरण है जो समाज में महिलाओं की स्थिति को बदलने में मदद करती है। देश के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उच्च शिक्षा एक प्रमुख भूमिका निभाएगी।

उच्च शिक्षा में महिलाओं की भूमिका समाज और देश के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाओं की भागीदारी शिक्षा के क्षेत्र में न केवल उनके व्यक्तिगत विकास का आधार बनती है, बल्कि यह समाज की प्रगति और राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।

महिलाओं की उच्च शिक्षा में भूमिका के कुछ मुख्य पहलू इस प्रकार हैं-

- आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण : उच्च शिक्षा महिलाओं को ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनती हैं। इससे उनके सशक्तिकरण में वृद्धि होती है, क्योंकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने में सक्षम होती हैं।
- समानता और न्याय : शिक्षा के माध्यम से महिलाएं अपनी स्थिति को बेहतर बना सकती हैं, जिससे लैंगिक असमानता को कम किया जा सकता है। उच्च शिक्षा महिलाओं को समान अधिकारों और अवसरों के प्रति जागरूक करती है।
- समाज पर सकारात्मक प्रभाव : महिलाओं के शिक्षित होने से पूरे समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे अपनी अगली पीढ़ी को भी बेहतर शिक्षा देने में सक्षम होती हैं, जिससे सामाजिक सुधार और विकास होता है।
- आर्थिक योगदान : उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं कार्यबल में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेती हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता का प्रदर्शन करती हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है।*
- नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता : उच्च शिक्षा से महिलाएं न केवल नेतृत्व की भूमिकाओं में आ सकती हैं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी सक्रिय रूप से भाग ले सकती हैं। इससे समाज और संस्थाओं में संतुलित और समावेशी विकास होता है।

भारत में उच्च शिक्षा (Higher Education) का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो माध्यमिक (स्कूल) शिक्षा के बाद दी जाती है। इसमें विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा शामिल होती है। उच्च शिक्षा में आम तौर पर स्नातक (Bachelor's), स्नातकोत्तर (Master's) और डॉक्टरेट (Ph.D) की डिग्रियां शामिल होती हैं।

भारत में उच्च शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त कराना और उन्हें विभिन्न उद्योगों व शोध कार्यों के लिए तैयार करना है। इसके अंतर्गत विज्ञान, कला, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, प्रबंधन, विधि, और अन्य कई क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान की जाती है।

उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थानों में प्रमुखत ः निम्नलिखित शामिल होते हैं-

1. विश्वविद्यालय : ये सामान्यतः बड़े शिक्षण संस्थान होते हैं, जहां विभिन्न विषयों में अध्ययन और शोध कार्य किए जाते हैं। ये या तो सरकारी या निजी हो सकते हैं।

2. महाविद्यालय : महाविद्यालय या तो विश्वविद्यालयों से संबद्ध होते हैं या फिर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यहाँ स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शिक्षा दी जाती है।

3. तकनीकी संस्थानः इनमें इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और अन्य व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, जैसे आईआईटी (IIT), एनआईटी (NIT) आदि।

भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली का प्रबंधन मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और अन्य नियामक संस्थानों द्वारा किया जाता है।

भारत में उच्च शिक्षा का इतिहास काफी पुराना है। इसके मूल में 19 वीं शताब्दी है, जब वाइसरॉय लॉर्ड मैकाले ने अपनी सिफारिशें रखी थीं। उसके बाद बीसवीं शताब्दी में सन् 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसका बाद में नाम भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) पड़ा। इस संस्था के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक, सांस्कृतिक और संबंधित क्षेत्रों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान किया जाने लगा था।

भारतीय स्वतंत्रता उपरांत 1948 में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई। इसके अंतर्गत देश में शिक्षा की आवश्यकताओं और उनमें सुधार पर काम किए जाने पर विचार किया जाता था। इस आयोग ने सलाह दी कि आजादी पूर्व के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटी को फिर से गठित किया जाए। उसका एक अध्यक्ष हो और उसके साथ ही देश के बड़े शिक्षाविदों को भी इस समिति के साथ जोड़ा जाए।

भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है। इसका मुख्यालय नयी दिल्ली में है और इसके छः क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बंगलुरु में हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य-

- विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को अनुदान प्रदान करता है।
- यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय में शोध अनुसंधान नवाचार में प्रयास को बढ़ावा देता है।
- यह भारत में शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रण करता है।
- यह भारत के समस्त विश्वविद्यालयों की संचालन के नियम बनाता है।
- भारत के विश्वविद्यालय में शिक्षा और परीक्षा का मानक तैयार करता है।
- यहां यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्रार्थी डिग्री डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करता है।
- देश भर में बिना मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय की जांच करता है एवं जांच यूजीसी के अनुरूप मानकों के अनुसार ना पाने पर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों पर कार्यवाही भी का करता है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एकीकृत संकाय भर्ती पोर्टल सीयू-चयन लॉन्च किया।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भारत में नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश क्षमता में फेरबदल करने हेतु अनुमोदन देती है। यह ऐसी संस्थाओं के लिए मानदंड भी निर्धारित करती है। इसकी स्थापना 1945 में सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी और बाद में संसद के अधिनियम द्वारा 1987 में इसे संविधिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुख्यालय नयी दिल्ली में है जहाँ इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सचिव के कार्यालय हैं। कोलकाता, चौन्नई, कानपुर, मुम्बई, चंडीगढ़, भोपाल और बंगलौर में इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। हैदराबाद में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है।

यह तकनीकी संस्थाओं के प्रत्यायन या कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा के गुणवत्ता विकास को भी सुनिश्चित करती है। अपनी विनियामक भूमिका के अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक बढ़ावा देने की भी भूमिका है जिसे यह तकनीकी संस्थाओं को अनुदान देकर महिलाओं, विकलांगों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए तकनीकी शिक्षा का विकास, नवाचारी, संकाय, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित करती है। यह परिषद 21 सदस्यों वाली कार्यकारी समिति के माध्यम से अपना कार्य करती है। यह 10 सांविधिक अध्ययन बोर्ड द्वारा सहायता प्राप्त है जो नामतरू इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में अवर स्नातक अध्ययन, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर और अनुसंधान, प्रबंध अध्ययन, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, फर्मास्युटिकल शिक्षा, वास्तुशास्त्र, होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, टाउन एवं कंट्री पलैनिंग परिषद की सहायता करते हैं।

उच्च शिक्षा में लड़कियों की बढ़ती संख्या का स्वागत करना चाहिए, लेकिन इस शिक्षा का उनके जीवन को हर लिहाज से बेहतर बनाने में क्या योगदान रहने वाला है, यह भी जानते रहना जरूरी है। आज निजीकरण के कारण महिलाओं केलिए उच्च शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि कोई गरीब आधी रोटी खाकर भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। इसका खामियाजा सबसे अधिक लड़कियों को उठाना पड़ रहा है। दरअसल समाज की यह हकीकत है कि लडक़ी को चाहे जितना शिक्षित कर लो, उसकी शादी में दहेज तो देना ही होगा। ऐसे में गरीब माता-पिता अपनी लडक़ी को पढ़ाने में खर्च करने से अधिक उसकी शादी में दहेज जुटाने का अधिक प्रयास करते हैं।

इसलिए उच्च शिक्षा में लड़कियों की बढ़ती संख्या का स्वागत करना चाहिए, लेकिन इस शिक्षा का उनके जीवन को हर लिहाज से बेहतर बनाने में क्या योगदान रहने वाला है, यह भी जानते रहना जरूरी है। आज निजीकरण के कारण महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि कोई गरीब आधी रोटी खाकर भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। इसका खामियाजा सबसे अधिक लड़कियों को उठाना पड़ रहा है। दरअसल समाज की यह हकीकत है कि लडक़ी को चाहे जितना शिक्षित कर लो, उसकी शादी में दहेज तो देना ही होगा। ऐसे में गरीब माता- पिता अपनी लडक़ी को पढ़ाने में खर्च करने से अधिक उसकी शादी में दहेज का सामान जुटाने का अधिक प्रयास करते हैं। इसीलिए उन्हें महंगी पढ़ाई करवाने में अधिक दिलचस्पी नहीं होती है। यदि महंगी शिक्षा के लिए व्यवस्था दोषी है, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कॉलेज, विश्वविद्यालय और शिक्षक भी दोषी हैं, लडक़ा और लडक़ी के बीच शिक्षा के प्रति दो नजरिए के लिए अभिभावक को आरोपमुक्त नहीं किया जा सकता है। यकीनन आज महंगी शिक्षा लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा बन कर उभरी है। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

स्त्री शिक्षा स्त्री और शिक्षा को अनिवार्य रूप से जोड़ने वाली अवधारणा है। इसका एक रूप शिक्षा में स्त्रियों को पुरुषों की ही तरह शामिल करने से सम्बन्धित है। दसरे रूप में यह स्त्रियों के लिए बनाई गई विशेष शिक्षा पद्धति को सन्दर्भित करता है। भारत में मध्य और पुनर्जागरण काल के दौरान स्त्रियों को पुरुषों से अलग तरह की शिक्षा देने की धारणा विकसित हुई थी। वर्तमान दौर में यह बात सर्वमान्य है कि स्त्री को भी उतना शिक्षित होना चाहिये जितना कि पुरुष हो। यह सिद्ध सत्य है कि यदि माता शिक्षित न होगी तो देश की सन्तानो का कदापि कल्याण नहीं हो सकता।

निष्कर्ष-

हम इस अध्ययन में निष्कर्ष रुप से कह सकते है कि महिलाओं की शिक्षा न केवल उनके व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि समाज के व्यापक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाती है, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है, और उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। हालाँकि अभी भी चुनौतियाँ मौजूद हैं, फिर भी महिलाओं की उच्च शिक्षा में बढ़ती भागीदारी से लैंगिक समानता, सामाजिक सुधार और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसलिए महिलाओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना समाज की प्रगति के लिए अनिवार्य है।

संदर्भ-

1. भारत में शिक्षा में महिलाओं की भूमिका (2019), लॉयड लॉ कॉलेज।
2. विकिपीडिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत)।
3. भाटिया, वरिनदर (2024), उच्च शिक्षा में महिला भागीदारी, दिव्य हिमाचल मीडिया।
4. भारत में शिक्षा में महिलाओं की भूमिका (2019), लॉयड लॉ कॉलेज।
5. हाजरा, मौमिता (2017), महिला सशक्तिकरण और विकास में उच्च शिक्षा की भूमिका, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ करंट एडवांस्ड रिसर्च।
6. महिलाओं की उच्च शिक्षा में भूमिका, ChatGPTI
7. विकिपीडिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत)।
8. विकिपीडिया, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद।
9. भाटिया, वरिनदर (2024), उच्च शिक्षा में महिला भागीदारी, दिव्य हिमाचल मीडिया।
10. विकिपीडिया, स्त्री शिक्षा।

मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास योजनाओं का प्रभावः वर्तमान स्थिति, चुनौतियाँ और सुधार की संभावनाएँ

कल्पना अहिरवार
शोधार्थी
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

प्रकाश कुमार अहिरवार
सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य
शासकीय आदर्श कन्या महाविध्यालय, श्योपुर

प्रस्तावना :-

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें सामाजिक, शैक्षिक, और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना भी है। एक सशक्त महिला न केवल अपने परिवार का बेहतर नेतृत्व कर सकती है, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। भारत में, विशेष रूप से मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिनमें कौशल विकास योजनाएँ प्रमुख हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को व्यावसायिक और तकनीकी क्षमताओं से लैस करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी आजीविका सुधार सकें।

कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और वे समाज में एक प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए सक्षम होती हैं। इस शोध पत्र में हम मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए चल रही विभिन्न कौशल विकास योजनाओं का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, साथ ही उनके प्रभाव, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर भी चर्चा करेंगे। यह अध्ययन इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और सुधार की दिशा में सुझाव प्रदान करेगा

कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण :-

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाना, ताकि वे आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बन सकें। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों और अवसरों के प्रति जागरूक करना और उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सक्षम बनाना है। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानकर समाज में समान रूप से योगदान दे सकती हैं।

कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख साधन है, जिसके तहत महिलाओं को विभिन्न तकनीकी, व्यावसायिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार, उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए तैयार करना होता है। कौशल विकास के माध्यम से महिलाएं नवीनतम तकनीकों और व्यावसायिक क्षमताओं में निपुण हो जाती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और वे आत्मनिर्भर बनती हैं। इससे महिलाओं को न केवल रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, बल्कि वे अपने खुद के व्यवसाय शुरू करने में भी सक्षम होती हैं, जिससे वे स्वयं और समाज दोनों का विकास करती हैं।

मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए कई कौशल विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जो उन्हें स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार करते हैं। यहाँ मध्यप्रदेश की कुछ प्रमुख कौशल विकास योजनाओं का विवरण दिया गया है।

मध्यप्रदेश की प्रमुख कौशल विकास योजनाएँ:-

1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया है। इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रदान कर उन्हें रोजगार योग्य बनाना है, और महिलाओं को इसका विशेष रूप से लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत विभिन्न ट्रेडों जैसे सिलाई, बुनाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर ऑपरेशन आदि में महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मध्यप्रदेश में इस योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हो रहा है, जहाँ ग्रामीण और शहरी महिलाओं को उनके हुनर में निपुण किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप महिलाएं रोजगार प्राप्त कर रही हैं और उद्यमिता की दिशा में भी कदम बढ़ा रही हैं।

मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए कई कौशल विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जो उन्हें स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार करते हैं। यहाँ मध्यप्रदेश की कुछ प्रमुख कौशल विकास योजनाओं का विवरण दिया गया है।

2. मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना राज्य की एक प्रमुख योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगार महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य के विभिन्न कौशल विकास केंद्रों में महिलाओं को उनके रुचि और आवश्यकता के अनुसार विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत महिलाओं को ट्रेड संबंधी प्रशिक्षण जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, कंप्यूटर शिक्षा, डाटा एंट्री, ब्यूटीशियन कोर्स आदि प्रदान किए जाते हैं। यह योजना महिलाओं को न केवल रोजगार प्राप्त करने में सहायता करती है, बल्कि स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित करती है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही एक राष्ट्रीय योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्व-सहायता समूहों (SHG) का गठन कर उन्हें आर्थिक गतिविधियों में शामिल करना है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। NRLM के तहत महिलाओं को न केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि उन्हें वित्तीय साक्षरता, ऋण योजनाओं और व्यवसाय प्रबंधन के बारे में भी शिक्षित किया जाता है। मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का विशेष रूप से लाभ उठाया जा रहा है, जहां महिलाएं कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, छोटे उद्योग आदि क्षेत्रों में काम कर रही हैं और अपने परिवारों की आय में योगदान दे रही हैं।

4. उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP)

उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को छोटे व्यापार और उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक कौशल सिखाया जाता है। उन्हें व्यवसाय शुरू करने, योजना बनाने, वित्तीय प्रबंधन और विपणन के बारे में गहन जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही, महिलाओं को उद्यमिता की चुनौतियों से निपटने के लिए मानसिक और सामाजिक तैयारियां भी कराई जाती हैं। मध्यप्रदेश में इस योजना के तहत कई महिलाएं छोटे व्यवसाय जैसे बुटीक, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ब्यूटी पार्लर और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों की स्थापना कर रही हैं

5. दीनदयाल अंत्योदय योजना

दीनदयाल अंत्योदय योजना भी मध्यप्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत महिलाओं को स्व-सहायता समूहों में संगठित कर उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। महिलाओं को समूह में काम करने के लाभ, व्यापार प्रबंधन, लघु उद्योग और सेवा क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को वित्तीय सहायता और तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है ताकि वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकें।

मध्यप्रदेश में महिलाओं के कौशल विकास के लिए चलाई जा रही इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल उन्हें रोजगार प्राप्त करने के लिए तैयार करना है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना भी है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को तकनीकी और व्यावसायिक कौशलों में दक्ष किया जा रहा है, जिससे वे अपने परिवार और समाज के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण के इस संयुक्त प्रयास से महिलाएं समाज में अपनी पहचान बना रही हैं और अपने जीवन को बेहतर बना रही हैं।

कौशल विकास योजनाओं का प्रभाव :

कौशल विकास योजनाओं का प्रभाव महिलाओं के जीवन में व्यापक और दूरगामी रहा है, विशेष रूप से उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के संदर्भ में:-

आर्थिक स्वतंत्रता: कौशल विकास योजनाएं महिलाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें वित्तीय रूप से स्वतंत्र बना रही हैं। इस प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाएं नौकरियों के लिए तैयार हो रही हैं, जिससे उन्हें परिवार के आर्थिक बोझ को साझा करने का अवसर मिल रहा है। वे घर से बाहर निकलकर स्वयं का रोजगार करने में सक्षम हो रही हैं, जिससे उनके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता में वृद्धि हो रही है। वित्तीय स्वतंत्रता के चलते महिलाएं अपने परिवार और समाज के आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

समाज में बदलाव: इन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव सिर्फ आर्थिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। महिलाएं अब परिवार की मुख्य आर्थिक सहयोगी बन रही हैं, जिससे उनके प्रति समाज का नजरिया बदल रहा है। अब उन्हें केवल गृहिणी के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि समाज के विकास में सक्रिय भागीदार के रूप में मान्यता दी जा रही है। इससे समाज में उनका सम्मान बढ़ा है और उनकी निर्णय लेने की क्षमता में भी इजाफा हुआ है।

शैक्षिक सशक्तिकरण: कई कौशल विकास योजनाएं महिलाओं को शिक्षा और तकनीकी कौशल के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर रही हैं, जिससे वे बेहतर रोजगार के अवसरों तक पहुंच रही हैं। इसके कारण महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि ज्ञान और कौशल से भी समृद्ध हो रही हैं।

स्वरोजगार और उद्यमिता: उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाएं स्वयं का व्यवसाय शुरू कर रही हैं। ये महिलाएं अन्य महिलाओं को भी रोजगार प्रदान कर रही हैं, जिससे उनके समुदाय में आर्थिक सुधार हो रहा है। इससे महिलाओं में उद्यमिता की भावना का विकास हो रहा है, और वे अपने परिवार के लिए आय के नए स्रोत बना रही हैं।

इस प्रकार, कौशल विकास योजनाएं महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

चुनौतियाँ:

महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास के प्रयासों के बावजूद, महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में कई चुनौतियाँ आती हैं। मध्यप्रदेश में महिलाओं के कौशल विकास और रोजगार प्राप्ति की राह में कुछ प्रमुख बाधाएँ इस प्रकार हैं:

1. समाज की मानसिकता

मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पारंपरिक सोच और सामाजिक बंधनों के कारण महिलाओं के कामकाजी होने को लेकर समाज में बाधाएँ हैं। कई परिवारों में यह धारणा है कि महिलाओं का मुख्य कर्तव्य घर और परिवार की देखभाल करना है, जबकि बाहर काम करना पुरुषों की जिम्मेदारी मानी जाती है। इस मानसिकता के चलते महिलाओं को अपने घरों से बाहर जाकर काम करने, प्रशिक्षण प्राप्त करने या स्वरोजगार शुरू करने की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। यह सामाजिक बाधा महिलाओं के सशक्तिकरण में एक बड़ी चुनौती है और इसे बदलने के लिए जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है।

2. प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी

मध्यप्रदेश के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण केंद्रों की कमी है। कई महिलाएं, जो कौशल विकास योजनाओं का लाभ उठाना चाहती हैं, उन्हें अपने निकटतम प्रशिक्षण केंद्र तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके कारण महिलाएं उचित तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पातीं, जिससे उनका रोजगार पाने या स्वरोजगार करने का सपना अधूरा रह जाता है। प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी के कारण कौशल विकास योजनाओं का प्रभाव सीमित हो जाता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में।

3. वित्तीय संसाधनों की कमी

कई महिलाएं कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद भी स्वरोजगार या उद्यमिता के सपने को पूरा नहीं कर पातीं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होते। स्वरोजगार या उद्यमिता के लिए प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जो कई महिलाओं के लिए जुटा पाना मुश्किल होता है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया भी जटिल हो सकती है, और ग्रामीण महिलाएं इनसे वंचित रह जाती हैं। इसके अलावा, कई महिलाओं को वित्तीय योजनाओं और ऋण सुविधाओं की जानकारी भी नहीं होती, जिससे वे आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में आगे नहीं बढ़ पातीं।

4. साक्षरता और जागरूकता की कमी

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अभी भी कई महिलाएं साक्षर नहीं हैं या उनकी शिक्षा का स्तर कम है। इससे न केवल उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने में मुश्किल होती है, बल्कि वे सरकारी योजनाओं और उनके लाभों के बारे में भी जागरूक नहीं हो पातीं। महिलाओं में कौशल विकास योजनाओं की जानकारी की कमी उन्हें इन योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित करती है। इसके साथ ही, कई महिलाएं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण इन योजनाओं में भाग लेने के लिए समय नहीं निकाल पातीं।

महिलाओं के कौशल विकास और सशक्तिकरण की राह में समाज की मानसिकता, प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी, वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता और जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियाँ महत्वपूर्ण हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए न केवल सरकारी प्रयासों की आवश्यकता है, बल्कि सामाजिक सोच में परिवर्तन, महिलाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करना जरूरी है। जागरूकता अभियानों, साक्षरता कार्यक्रमों और वित्तीय योजनाओं को सरल बनाने से महिलाओं को इन बाधाओं को पार कर आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सकती है।

संभावनाएँ और सुधार के सुझाव:

कौशल विकास योजनाओं की संभावनाओं को बढ़ाने और महिलाओं के सशक्तिकरण में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं।

शिक्षा और जागरूकता का प्रसार: सबसे पहले, महिलाओं के बीच शिक्षा और कौशल विकास के महत्व पर जोर देना जरूरी है। जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं को इन योजनाओं और उनके लाभों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। इससे अधिक से अधिक महिलाएं इन अवसरों का लाभ उठा सकेंगी और अपने जीवन को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बना सकेंगी।

प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना: ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। कई महिलाएं स्थान और संसाधनों की कमी के कारण प्रशिक्षण से वंचित रह जाती हैं। इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना से महिलाओं को उनके स्थानीय क्षेत्रों में ही तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे रोजगार के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकेंगी।

वित्तीय सहायता का प्रावधान: महिलाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान

आवश्यक है। सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को इस दिशा में योजनाओं को लागू करना चाहिए, ताकि महिलाएं अपने व्यवसाय को शुरू करने और विकसित करने के लिए आवश्यक पूंजी जुटा सकें।

महिला उद्यमियों को प्रोत्साहनः महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की जानी चाहिए। इससे महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बनेंगी, बल्कि वे अन्य महिलाओं को भी रोजगार प्रदान करने में सक्षम होंगी, जिससे व्यापक समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा

निष्कर्ष :-

मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास योजनाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये योजनाएँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में भी सशक्त कर रही हैं। उदाहरण के लिए, स्वरोजगार के अवसर, व्यावसायिक प्रशिक्षण, और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं और अपने समुदाय में सकारात्मक योगदान दे रही हैं। फिर भी, इन योजनाओं के प्रभाव को और बढ़ाने के लिए सुधार की आवश्यकता है। जागरूकता अभियान के माध्यम से अधिक महिलाओं को इन योजनाओं के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता और पहुँच को बढ़ाना जरूरी है, ताकि महिलाएं अपने कौशल को बेहतर ढंग से विकसित कर सकें। इसके अलावा, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता में सुधार करने से योजनाओं की सफलता में वृद्धि हो सकती है। इन उपायों के माध्यम से, मध्यप्रदेश में महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत वेबसाइटः https://www.msde.gov.in
2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) वेबसाइटः https://aajeevika.gov.in. प्रधानमंत्री
3. कौशल विकास योजना (PMKVY) वेबसाइटः https://pmkvyofficial.org कौशल विकास मिशन
4. मध्यप्रदेश वेबसाइटः http://www.mpskills.gov.in
5. Sharma, R. (2020). Women Empowerment Through Skill Development in India. Journal of Social Welfare and Development, 35(2), 45-60.
6. संपत्ति, N. (2021). मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण योजनाओं का प्रभावः एक अध्ययन. समाज विज्ञान अनुसंधान पत्रिका, 12(3), 75-
7. Srivastava, P. (2019). Challenges and Opportunities in Women Entrepreneurship Development. International Journal of Entrepreneurship, 8(1), 29-43.7
8. महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत वेबसाइटः https://wcd.nic.in सरकार
9. Chatterjee, S. (2018). Role of Skill Development in Women Empowerment. Economic and Political Weekly, 53(6), 34-40.
10. World Bank Report on Women Empowerment (2021) वेबसाइटः https://www.worldbank.org